भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी

कोलकाता–700 087

सैंतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय–सूची

			पेज
1.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	...	2
2.	सूचना	...	5
3.	अध्यक्ष की कलम से	...	6
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	...	9
5.	पांच वर्षों की रूपरेखा	...	33
6.	क्षेत्रीय कार्यालय	...	35
7.	लेखापरीक्षकों का रिपोर्ट	...	36
8.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	...	53
9.	तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाता के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	...	54
10.	व्यापार का लेखा :		
	(i) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–मूल्य समर्थन	...	74
	(ii) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–वाणिज्यिक	...	75
	(iii) जूट बीज	...	76
	(iv) विविध जूट उत्पाद (सोनाली)	...	76

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण

1.	डा. के. वी. आर. मूर्ति	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (02.07.2016)
2.	श्री ए. एम. रेड्डी	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (23.03.2015)
3.	श्रीमती बबनी लाल	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (18.06.2014)
4.	डा. एस. के, पांडा	:	गैर-सरकारी निदेशक (09.08.2018)
5.	सीए पी. दाशगुप्ता	:	निदेशक (वित्त) (03.11.2014 से 05.07.2018)
	श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)
	लेखापरीक्षक	:	मेसर्स एम. सी. जैन एवं कं., 33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता 700001, पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा समिति

1.	श्रीमती बबनी लाल	:	अध्यक्षा (18.06 2014)
2.	श्री ए. एम. रेड्डी	:	सदस्य (23.03.2015)
3.	डा. के. वी. आर. मूर्ति	:	सदस्य (02.07.2016)
	श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)
	पंजीकृत कार्यालय	:	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 वेबसाइट: www.jci.gov.in, ई-मेल: jci@jcimail.in

डा. के. वी. आर. मूर्ति
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री ए. एम. रेड्डी
संयुक्त सचिव,
वस्त्र मंत्रालय

श्रीमती बबनी लाल
आर्थिक सलाहकार,
वस्त्र मंत्रालय

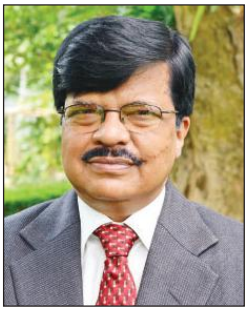

डा. एस. के. पांडा
गैर-सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर श्री अनंत कुमार सिंह, सचिव, वस्त्र मंत्रालय, डा. के. वी. आर. मूर्ति, सीएमडी, भापनि, श्री ए. एम. रेड्डी, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय एवं श्रीमती बबनी लाल, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय

The Jute Corporation of India Limited
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

JCI's NETWORK

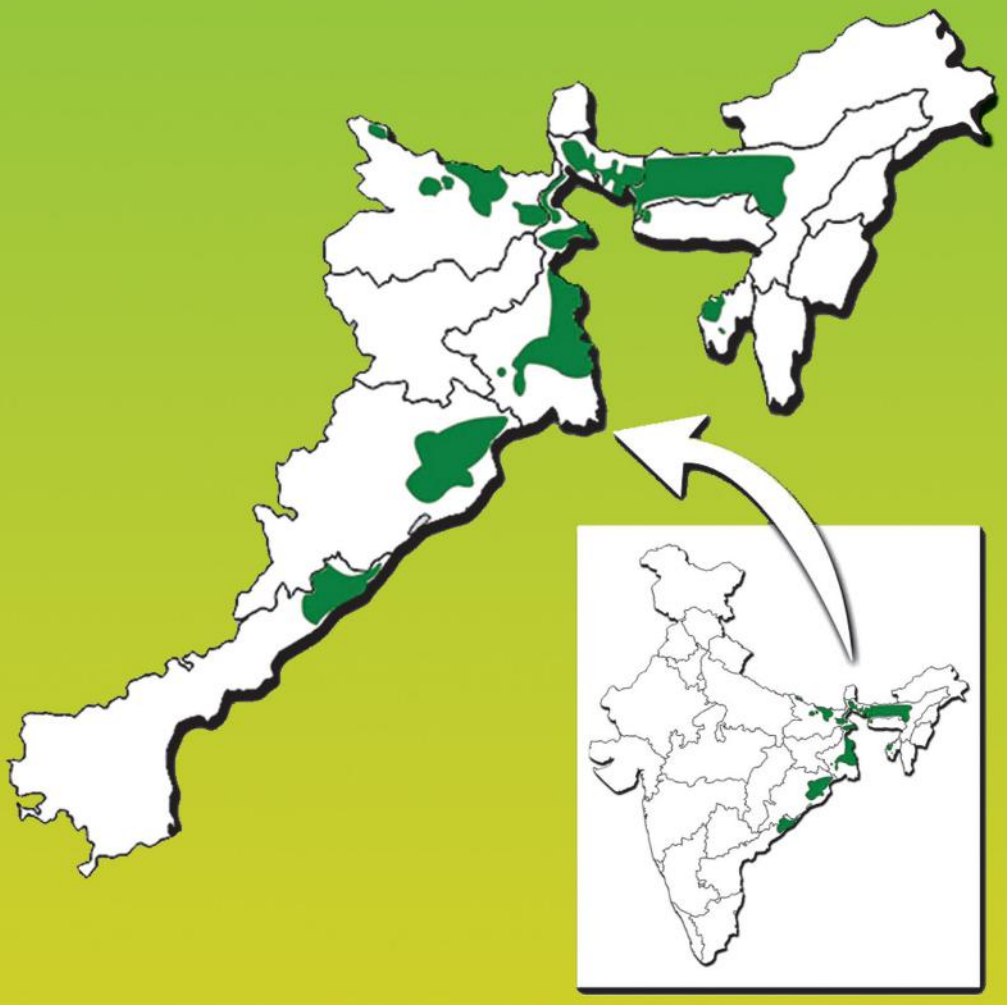

This map is for reference only, not to scale

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं. भापनि/47वीं एजीएम/सचिवालय/2018-19 दिनांक : 19.09.2018

47वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की सैंतालीसवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 1.00 बजे से उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 011 में होगी।

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखा-परीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे पारित करना।

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

   निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

''**प्रस्तावित**
कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 139 के अनुसार मेसर्स एम. सी. जैन एण्ड कं., सनदी लेखापाल को वर्ष 2018-19 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत निगम के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है।''

3. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 106.10 रु. का लाभांश घोषित करना।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

टिप्पणी :

सदस्य जो सैंतालीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित और वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित और वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग किया जाता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले इसे विधिवत भरकर वापस किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम की 47वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम रहने के बावजूद सभा में उपस्थित होकर इसे सफल बनाया।

अब मैं निम्नलिखित क्षेत्रों का वर्णन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा:

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन अविध के दौरान निगम ने कर के उपरांत 1768.20 लाख रु. का लाभ किया है। अर्जित प्रति शेयर (ईपीएस) की राशि विगत वर्ष की तुलना में 184 रु. से बढ़ कर 354 रु. हो गई है।

यह उपलब्धि कर्मचारियों के समर्पण व कठिन परिश्रम और निगम द्वारा सही समय पर क्रय, विक्रय एवं अन्य क्रिया-कलापों से संबंधित लिये गये निर्णयों के कारण संभव हुआ जो बोर्ड के निदेशकगण और वस्त्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के समग्र मार्गदर्शन और देख-रेख के अधीन था। यह सही है कि निगम द्वारा समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्धता की गई थी और उसके पालन का वित्तीय परिणाम 2017-18 पर सीधा असर पड़ा है।

बाजार का परिदृश्य

2016-2017 से लाये गये 22 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2017-18 प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 80 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार के घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 300 रु. (रु.3500-रु.3200) की बढ़ोतरी की गई। लेकिन वर्ष 2016-17 का वास्तविक उत्पादन 92 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 76 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 3.40 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 80 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 69 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 22.40 लाख गांठ जूट अधिशेष हो जायेगा। मौसम के प्रारंभ में फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा परन्तु बाद में पर्याप्त फसल होने के कारण मूल्य एमएसपी स्तर पर आ गया एवं यहां तक कि कुछ जगहों में इससे नीचे हो गया। फसल वर्ष 2018-19 के लिए फसल की संभावना विगत वर्ष की तुलना में कम ही पैमाने पर होने वाला दिखता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2017-18 के लिए 3500 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2016-17 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त का कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न

किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 315260 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की जो विगत 9 (नौ) फसल वर्षों में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत अधिकतम है।

2017-18 के लिए समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन 2017-18 का मूल्यांकन रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के पास जमा किया गया है एवं निगम के श्रेणी का अभी भी इंतजार है और हम ''उत्कृष्ट'' श्रेणी का आशा कर रहे हैं क्योंकि अनिवार्य वित्तीय पैरामीटर्स को प्राप्त करने में शानदार कार्य-निष्पादन किया गया है। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के गैर-वित्तीय पैरामीटर्स को प्राप्त करने में भी अच्छा ही कार्य-निष्पादन किया गया है।

कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने स्कूलों में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविरों, कान का मशीन दान, लेप्रोसी सोसाइटी, अंधे सोसाइटी को अंशदान एवं 30 डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार एवं स्वच्छता पखवाड़ा क्रिया-कलापों के क्षेत्रों में सीएसआर क्रिया-कलाप किया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

निगम अपने बुनयादी जरुरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956/2013 पर आधारित वर्तमान कार्पोरेट अनुभव और केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित संशोधित मार्ग-दर्शनों का अनुसरण करता है जो अनिवार्य है। इस वर्ष में भी निगम ने कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित अपनाये गये कार्यों को निदेशकों का रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कार्पोरेट व्यवहार को उन्नत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से नई कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कार्पोरेट गवर्नेंस की अवधारण पूरी तरह से महत्व व सार्थकता के एक अलग स्तर पर बढ़ी है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की है जो निगम में कार्पोरेट गवर्नेन्स अनुभव को मजबूत करेगा।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम ने अपने जनशक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यावर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है जिससे कि वे अपने वर्तमान कार्य में और अधिक संसाधन बन सके और वे भविष्य के औद्योगिक संबंध को बनाये रखने के लिए तैयार रहे।

समीक्षा वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

निगम हमेशा प्रौद्योगिकीय विकास के सभी अवसर का लाभ उठाने के लिए बदलते परिदृश्य के साथ अपना तालमेल रखता है। तदनुसार प्रधान कार्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ते हुए कोलकाता में अपना मुख्य केन्द्र रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एकीकृत नेटवर्क है जिसे समर्पित आईटी अधिकारियों की एक समूह द्वारा देखा जा रहा है।

निगम ने आंचलिक कार्यालयों की अवधारण चालू किया है एवं निगम के क्रिया-कलापों के संपूर्ण क्षेत्रों को पांच अंचलों अर्थात उत्तर-पूर्व सीमांत, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, पूर्व तटीय एवं कोलकाता में बांटा गया है। इन अंचलों के प्रत्येक अंचल का नेतृत्व एक आंचलिक प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इस अवधारण के फलस्वरूप खरीददारी से संबंधित क्रिया-कलापों, प्रशासनिक मुद्दों, इष्टतम जनशक्ति का उपयोग का संचालन करने एवं संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अच्छा संपर्क बनाए रखने में अधिक दक्ष हुआ है।

निगम ने जे-मैप नाम से एक क्रांतिकारी मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है जो डीपीसीज से आरओज/आरएलडीज एवं प्रधान कार्यालय को भेजे जा रहे वास्तविक समय डेटा में सहायता करता है। इससे खरीद प्रक्रिया की देख-रेख एवं समग्र नियंत्रण व जांच करने में मदद मिलती है और तुरंत व समय पर निवारण और निर्णय लेने की सुविधा मिलती है।

जैसाकि आप जानते हैं कि निगम के पास एक आउटलेट, सोनाली है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं का जूट आधारित हस्तकला दिखाया व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आईकेयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है जिसके द्वारा बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए कृषकों के पास प्रमाणित जूट बीज वितरित किए जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान प्रथा के उपयोग को संस्थागत बनाना है जो जूट कृषकों को दिया जाएगा।

जैसाकि पहले बताया गया है कि जूट फसल के आकलन के लिए ''इसरो'' के सहयोग से निगम द्वारा विकसित एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन "भुवन जंप" बहुत उपयोगी साबित हुआ है। फसल वर्ष 2018-19 के लिए जूट की खेती के क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जूट उगाही राज्यों में विभिन्न जूट उगाही क्षेत्रों से अब तक करीब 7026 फील्ड डैटा ''इसरो सर्वर'' को प्रेषित किया गया है।

चूंकि कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त होने के कारण जूट का कुल उत्पादन एवं इसके क्षेत्रफल नियमित रूप से कम होता जा है इसलिए जूट की खेती करने में यंत्रकला बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए निगम ने इन परियोजनाओं के माध्यम से खेती की लागत में कमी लाने एवं बेहतर उत्पादन व गुणवत्ता के लिए एनजेबी एवं अन्य हितधारकों जैसे क्राइजाफ, इजिरा के सहयोग से कई पहल किये हैं।

इसके अलावा, निगम ने विविधीकरण के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार के नए रास्ते तलाशने के लिए जैसे इस ने विगत में किया है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए आगे देख रहा है। निगम जूट विविधिकृत उत्पादों का विक्रय करने एवं विपणन करने के लिए अमूल, पंपाहार, ताज बंगाल, एसबीआई, मृगनयनी, गिरीजन सहकारी समिति निगम लि. आदि जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ भी बातचीत किया है। निगम वैकल्पिक राजस्व के रास्ते तैयार करने के लिए नए जगहों का पता लगाने का लगातार प्रयास कर रहा है।

अंतिम लेकिन समाप्त नहीं, निगम ने शिक्षक दिवस के सुअवसर पर नवाचार अनुभाग प्रारंभ किया है जो व्यापार के नए रास्ते तलाशने एवं निगम के भविष्य की स्थिरता हेतु वैकल्पिक राजस्व सृजन करने की दिशा में कार्य करेगा।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, नेशनल जूट बोर्ड एवं जूट से संबंधित अन्य सभी निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं इस सुअवसर का सदुपयोग करते हुए स्टॉफ यूनियनों एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने जूट कृषकों एवं संपूर्ण जूट सेक्टर से संबंधित निगम की प्रतिबद्धता बनाये रखने में अपना लगातार समर्थन देते रहे हैं।

डा. के.वी.आर. मूर्ति
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट
वर्ष 2017-18

प्रिय शेयरधारीगण,

बोर्ड के निदेशकगण की ओर से मैं आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 47वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

निगम के कार्यों से संबंधित मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं :

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2016-2017 से लाये गये 22 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2017-18 प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 80 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) होने का पूर्वानुमान था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 300 रु. (रु.3500-रु.3200) की बढ़ोतरी हुई जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया लेकिन वर्ष 2016-17 का वास्तविक उत्पादन 92 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 76 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 3.40 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 80 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 69 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 22.40 लाख गांठ जूट अधिशेष हो जायेगा। मौसम के प्रारंभ में फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा परन्तु बाद में पर्याप्त फसल होने के कारण मूल्य एमएसपी स्तर पर आ गया एवं यहां तक कि कुछ जगहों में इससे नीचे हो गया। फसल वर्ष 2018-19 के लिए फसल की संभावना विगत वर्ष की तुलना में कम पैमाने पर होने वाला दिखता है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2017-18 के लिए 3500 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2016-17 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त का कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 3,15,260 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की। 31 मार्च 2018 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2017-18 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	परिचालन लागत (रु. लाख में)	विक्रय की मात्रा (गांठ)	विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में)
3,15,260	17,215.89	672.83	2,45,612	17,195.99
अंतिम स्टॉक			1,61,061	10,425.28
कुल लाभ/(हानि) कर के उपरांत				2,346.87

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च 2018 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2017-18 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	परिचालन लागत (रु. लाख में)	विक्रय की मात्रा (गांठ)	विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में)
	21.48	–	2,950	210.27
अंतिम स्टॉक	–	–	63,070	3,471.95
कुल लाभ/(हानि) कर के बाद	–	–	–	(621.43)

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी के अंतर्गत लगभग 3,15,260 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की।

3.2 वर्ष 2017-18 के दौरान निगम का कुल कारोबार 18,004 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि कर एवं सभी स्थायी खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने का लाभ के प्रावधान प्रभार के बाद शुद्ध लाभ 1768.20 लाख रु. का हुआ है। प्रस्तावित लाभांश एवं उस पर वितरण कर जो 638.50 लाख रु. आता है, पर विचार करने के उपरांत एवं आरक्षित एवं अधिशेष में शेष लाभ को स्थानांतरित करने के बाद वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के उक्त खाता में 11,990.44 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3 समीक्षा के अंतर्गत इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को परिशिष्ट 'ए' में दिखाया गया है।

3.4 विगत वर्ष के लाभ राशि 919.80 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत 1768.20 लाख रु. का लाभ हुआ है।

3.5 2017-18 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 184 रु. की तुलना में 354 रु. है।

3.6 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 110 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है। प्रगाढ़ एमएसपी की स्थिति होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा कार्य-निष्पादन किया एवं एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत व्यापक खरीददारी की।

3.7 प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 332.18 लाख रू. की तुलना में 638.50 लाख रु. है जिसमें उसपर होने वाला कर शामिल है।

3.8 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप में हानि होने के कारण एमएसपी क्रिया-कलाप में अर्जित लाभ मार्जिन को कुछ हद तक नहीं रोका जा सकता था।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

निगम कच्चे जूट के लिए भारत सरकार का मूल्य समर्थन एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के माध्यम से मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की

रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के मूल्य समर्थन को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई।

मार्जिनल कृषकों लाभ दिलाने एवं कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने हेतु भापनि को उसकी आधारभूत संरचना का रख-रखाव करने के क्रम में वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने निर्धारित बंधे खर्च का वहन कर सके।

एमएसपी क्रिया-कलाप हेतु मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) ने वास्तविक एमएसपी क्रिया-कलाप घटित होने का विचार किए बिना निगम को उसके आधारभूत ढांचे के रख-रखाव के लिए लगातार आर्थिक सहायता देने का अनुमोदन किया है। तदनुसार सीसीईए ने 28.01.2015 को अपनी बैठक में चार वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमश: 55.00 करोड़ रु., 52.11 करोड़ रु., 49.38 करोड़ रु. और 46.78 करोड़ रु. का आर्थिक सहायता का अनुमोदन किया है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक सहायता की राशि 46.78 करोड़ रु. प्राप्त किया।

आगामी आर्थिक सहायता

निदेशकों को इसे साझा करने में भी प्रसन्नता हो रही है कि वस्त्र सचिव द्वारा आगामी दो वर्षों 01.04.2018 से 31.03.2020 तक के लिए अनुदान की राशि 100 करोड़ रूपये का पहले ही अनुमोदन किया गया है जिसका मूल्यांकन एसएस व एफए द्वारा किया गया है। कृपया वस्त्र मंत्रालय का का.ज्ञा.सं. 5/7/2017-जूट दिनांक 23 मई, 2018 का अवलोकन करें।

5. समझौता ज्ञापन (मउ) 2017-18

निगम वर्ष 2016-17 हेतु केवल ''अच्छा'' ग्रेड प्राप्त करने में कामयाब रहा। नीचे दिए गए कार्य-निष्पादन के परिणामस्वरूप कुछ कारक निगम के नियंत्रण से बाहर थे। एमएसपी का परिदृश्य विगत वर्षों की तुलना में काफी शिथिल था जिसके परिणामस्वरूप खराब कारोबार हुआ। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के गैर-वित्तीय पैरामीटर्स को प्राप्त करने में निगम का कार्य-निष्पादन संतोषजनक था। तथापि वित्तीय वर्ष 2017-18 में चीजें उत्साहजनक लग रही हैं एवं 2017-18 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग में बदलाव बहुत अधिक संभव है।

समझौता ज्ञापन (मउ) 2017-18 के अंतर्गत निगम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को पूरा करने की जिम्मेदारी है:

(i) अन्य पैरामीटर्स

सेक्टर विशिष्ट परिणाम-उन्मुख मापनीय पैरामीटर्स - जूट आईकेयर परियोजना का कार्यान्वयन (मापदंड: कवर किये गए कृषकों की सं.) - निगम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा क्योंकि इसने समझौता ज्ञापन 2017-18 के लिए उक्त मापदंड के अंतर्गत 102372 कृषकों को पंजीकृत किया है।

(ii) एचआरएम पैरामीटर्स

(ए) एसीआर/एपीएआर लेखन से संबंधित निर्धारित समय-सारणी का अनुपालन करने के साथ सभी कार्यकारी अधिकारीगण (ई-0 एवं उससे ऊपर) के एसीआर/एपीएआर को ऑनलाइन जमा करना।

(बी) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारीगण (ई-5 एवं उससे ऊपर) के लिए ऑनलाइन तिमाही सतर्कता क्लियरेंस अद्यतन करना।

(सी) उत्तराधिकारी योजना की तैयारी एवं बोर्ड के निदेशकरण द्वारा इसका अनुमोदन - निगम उत्तराधिकारी योजना को तैयार करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा एवं 26.09.2017 को अनुष्ठित बोर्ड की 245वीं बैठक में बोर्ड के द्वारा उसका अनुमोदन प्राप्त किया।

(डी) कार्यकारी अधिकारीगण (ई-0 एवं उससे ऊपर) हेतु बिना विलंब किये डीपीसी होल्डिंग करना - निगम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा क्योंकि इसने ई-0 एवं उससे ऊपर स्तर के अपने अधिकारियों हेतु 100% डीपीसीज का प्रतिनिधित्व करते हुए 17 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें की।

(ई) उत्कृष्टता केन्द्र जैसे भारत में आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, आईसीएआई आदि में कम-से-कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिला कर प्रतिभा प्रबंधन और केरियर की प्रगति - निगम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा क्योंकि इसने अपने 9 कार्यकारी अधिकारियों को उत्कृष्टता के विभिन्न केन्द्रों जैसे - आईआईटीज, आईआईएम्स, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूए आदि में भेजा।

उपरोक्त के अलावा वर्ष 2017-18 के अन्य सभी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों का मूल्यांकन मानदंड वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निगम के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।

6. विविध वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

सोनाली जो विविध जूट उत्पादों के लिए निगम का बिक्री केन्द्र है, ने विभिन्न मंचों द्वारा समय-समय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला, कोलकाता पुस्तक मेला और अन्य ऐसे मेलों में भाग लेता है। वर्तमान में विक्रय केन्द्र को उन्नत करने के लिए कुछ नवीकरण कार्य चल रहा है ताकि यह जेडीपीज के प्रदर्शन और विपणन के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो सके। अतीत में सीपीएसईज और बैंकों सहित विभिन्न संगठनों के साथ गठजोड़ को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये गये हैं एवं कुछ और ऐसे ही गठजोड़ शीघ्र ही भविष्य में होनेवाले हैं। सोनाली के व्यापारिक क्षेत्र को विस्तार करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं और नए उद्यमियों की सूची बनाने की प्रक्रिया एवं उनके अनूठे सृजनों का प्रदर्शन चल रहा है। जेडीपी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। हाल ही में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के कारण नगरपालिकाओं, सरकारी निकायों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ढेरों आदेश आना प्रारंभ हो गया है।

7. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

देश में लाखों जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारण को चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत घोषित एमएसपी पर कच्चे जूट की खरीददारी की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगम ने विभिन्न परियोजनाओं को भी अपनाया है। निगम ने एक विक्रय केन्द्र, सोनाली का स्थापना किया है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं का जूट आधारित हस्तकला दिखाया व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आईकेयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है जिसके द्वारा बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए कृषकों के पास प्रामाणित जूट बीज वितरित किए जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान प्रथा के उपयोग को संस्थागत बनाना है जो निम्नलिखित निविष्टियों को प्रदान करते हुए जूट कृषकों को दिया जाएगा:

1. 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना (50% आर्थिक सहायता के साथ)।
2. बीज ड्रिल, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।

3. क्राइज़ाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे हैं। 2015 में पहला चरण जबरदस्त सफल रहा। कृषक समुदाय के बीज इस योजना की लोकप्रियता और स्वीकृति को देखते हुए निगम ने स्थानीय सहकारी निकायों के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र और संख्या के मामले में अपनी पहुंच को दोगुना से अधिक बढ़ा दिया है। समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान आईकेयर योजना ने 70628 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया और 102372 कृषकों को पंजीकृत किया।

जूट फसल का आकलन करने के लिए निगम ने इसरो के सहयोग से एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन "भुवन जंप" विकसित किया है जो बहुत उपयोगी साबित हुआ है। इस वर्ष सैटलाइट प्रतिबिंब के माध्यम से 62 स्थानों की पहचान की गई जहां भापनि की उपस्थिति के बिना संभावित बाजार है। इन क्षेत्रों को एनएसीओएफ एवं अन्य सहकारी समितियों व कृषकों के क्लबों के साथ आउटसोर्सिंग मॉडल के माध्यम से भापनि द्वारा कवर किया जा रहा है। फसल वर्ष 2018-19 के लिए जूट की खेती के क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जूट उगाही राज्यों में विभिन्न जूट उगाही क्षेत्रों से इसरो के सर्वर के पास अब तक लगभग 7026 फील्ड डैटा हस्तांतरित किया गया है।

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढाँचा और विकास

फसल वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे रहा जिसके परिणामस्वरूप निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चा जूट पर्याप्त मात्रा में खरीदा। साथ-ही-साथ निगम ने खरीदे गए कच्चे जूट का निपटारण करने का प्रयास भी किया एवं उत्कृष्ट कारोबार प्राप्त करने में सफल रहा। कच्चे जूट की बिक्री की प्रक्रिया अभी भी चल रही हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 2.1 में दर्शाया गया है।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम एवं इससे संबंधित

सुअवसर

* पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ती चिंता को देखते हुए जूट उत्पादें अन्य विकल्प से अधिक तहजीह पा रहे हैं। विविध जूट के सामानों की मांग उसकी कार्यात्मक मूल्य और बायोडिग्रैड्बल उत्पादों के उपयोग के लिए बढ़ती जागरुकता की वजह से बढ़ रही है।
* मनभावन कीमत पर जूट उत्पादों के निर्यात का सुअवसर हो सकता है जिससे कच्चे जूट की मांग बढ़ सकती है।

जोखिम एवं संबंधित/खतरा

* कम उत्पदान होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से कच्चे जूट का कीमत सामान्यत: अधिक रहा, फलस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीददारी करना निगम के लिए दिक्कत हो रहा है।
* वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के लिए चालू मूल्य पर कच्चे जूट की खरीददारी करना जोखिम भरा भी है।

(सी) दृष्टिकोण

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होनेवाले सभी कच्चे जूट को खरीदने एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आनेवाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास लगातार करता रहेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतिरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन का समीक्षा करती है और आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

* विगत वर्ष के दौरान 2,879.40 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 17,215.89 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 10,399.35 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 21.48 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 44.10 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 17,195.99 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 5,053.67 लाख रु. की तुलना इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 210.27 लाख रु. का रहा।
* समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का परिचालन लाभ (कर के पहले) 1,457.11 लाख रु. का हुआ (2017-18 में 2,746.11 लाख रु. - 2016-17 में 1,289.00 लाख रु.) जो विगत वर्ष से 113% बढ़ा है। यह मुख्य रूप से प्रबंधन द्वारा लागत में कमी करने के कारण है।

(एफ) मानवीय स्त्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में निगम ने ''गैर-वित्त हेतु वित्त'', सॉफ्ट स्किल्स, पेंशन एवं सेवानिवृत लाभ, एससी/एसटी रजिस्टर का रख-रखाव के क्षेत्रों में अपने 82 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण ग्रहण और आगे की घटनाओं की अपेक्षाओं पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है जिसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल है।

9. कार्पोरेट का सामाजिक दायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके

कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें।

निगम के पास सीएसआर के क्रिया-कलापों के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, संयुक्त सचिव एवं निदेशक (वित्त) को शामिल करते हुए एक समिति है। अब निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के साथ उपरोक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित स्वतंत्र निदेशक के साथ उक्त सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

निगम के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत भिन्न रूप से सक्षम और वंचितों हेतु ''वॉयस ऑफ वर्ल्ड'', एक सामाजिक कल्याण संगठन को चेक सौंपा जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 31.51 लाख रूपये की राशि खर्च करना था। इस बजट में निगम ने निम्नलिखित क्रिया-कलाप करने के लिए चिह्नीत किये:

क्र.सं.	क्रिया-कलाप	बजट (रु. लाख में)
1.	विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों में स्वच्छता अभियान	3.0
2.	साफ-सुथरा उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग)	2.5
3.	समान क्रिया-कलापों में साबित रिकार्ड के साथ प्रतिष्ठित एनजीओज के माध्यम से स्वास्थ्य जांच शिविरें	12
4.	कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीएसआर क्रिया-कलापों के रूप में कान का मशीन दान, लेप्रोसी सोसाइटी, अंधे सोसाइटी को अंशदान एवं मान्यता प्राप्त विविध मदों का अंशदान	8.51
5.	30 डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार	3
6.	स्वच्छता पखवाड़ा क्रिया-कलापें	2.5
	कुलः	**31.51**

नोटः उपरोक्त में दर्शाये गये अधिकांश क्रिया-कलाप पहले से ही पूरे हो चुके हैं जबकि अन्यान्य शीघ्र ही पूरे होने जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीएसआर के क्रिया-कलापों से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट-सी** के रूप में दिया गया है।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उसके नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीददारी कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य दिलाना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम यह लगातार ध्यान रखता है कि राजकोष के उपयोग में सुधार करते हुए अधिकतम पारदर्शिता एवं जवाबदेही रहे।

(बी) 31.3.2018 तक के निदेशक मण्डल - निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (10.10.2017)
1.	डा. के.वी.आर. मूर्ति (डीआईएन:07628725) (02.07.2016 से)	सीएमडी	5	5	5	हां
2.	श्रीमती बबनी लाल (डीआईएन: 06952358) (18.06.2014 से)	सरकारी निदेशक	5	5	2	लागू नहीं
3.	श्री ए. एम. रेड्डी (डीआईएन: 06633791) (23.03.2015 से)	सरकारी निदेशक	5	5	4	लागू नहीं
4.	सीए. पी. दाशगुप्ता (डीआईएन: 07059472) (03.11.2014 से)	निदेशक (वित्त)	5	5	5	हां

बोर्ड की बैठक की तिथि: 15.06.2017, 24.08.2017, 26.09.2017, 12.12.2017 एवं 06.03.2018

(सी) 31.03.2018 तक लेखापरीक्षा समिति - निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। इस लेखापरीक्षा समिति में दो सदस्य हैं।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. श्रीमती बबनी लाल, सरकारी निदेशक-अध्यक्षा

2. श्री ए. एम. रेड्डी, सरकारी निदेशक-सदस्य

3. डा. के. वी. आर. मूर्ति, सीएमडी-सदस्य

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

इस समिति से संबंधित शर्त्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है :

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणी एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखा मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क नियत करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखा परीक्षाकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा उपयुक्त कानून, विनियम एवं कम्पनी के नीतियों के अनुसार है।

(ix) आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विषेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखा परीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यों को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप में इनके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	श्रीमती बबनी लाल (18.06.2014 से)	सरकारी निदेशक	4	4	2
2.	श्री ए. एम. रेड्डी (23.03.2015 से)	सरकारी निदेशक	4	4	3
3.	डा. के.वी.आर. मूर्ति (02.07.2016 से)	सीएमडी	4	4	4

लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि : 15.06.2017, 24.08.2017, 12.12.2017, एवं 06.03.2018

डी) साधारण निकाय की बैठकें :

क्र. सं.		2014-15 (44वीं एजीएम)	2015-16 (45वीं एजीएम)	2016-17 (46वीं एजीएम)
1.	तिथि	30.09.2015	29.09.2016	16.10.2017
2.	समय	अपराह्न 4.00 बजे	अपराह्न 4.00 बजे	अपराह्न 5.00 बजे
3.	स्थान	इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता	इस निगम के पंजीकृत कार्यालय कोलकाता	इस निगम के पंजीकृत कार्यालय कोलकाता

ई) प्रकटन :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर किसी भी तरह का दंड/अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिन्दुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा खाता में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किन्तु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना :

(i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही -

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएँ रखी गई :

(ए) कार्यवृत की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) जूट टेक्नोलॉजी मिशन (एम एम-III) की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट।

(एफ) कानूनी मामलें।

(जी) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(आई) वार्षिक लेखा।

(जे) लेखापरीक्षक।

(ii) **बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची** - बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाय। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) **विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि** - बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) **बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग** - कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के बाद उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(एफ) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजा जाता है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण - कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति :

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कॉर्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन - धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति विकसित किया है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की एक प्रति वेब-साइट : www.jci.gov.in पर रखा गया है।

11. लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार को प्रति शेयर 106.10 रु. के हिसाब से लाभांश का भुगतान की सिफारिश करने के लिए विचार किये हैं। लाभांश के रूप

में कर सहित कुल 6.38 करोड़ रु. होगा। लाभांश का भुगतान निगम के आगामी 47वीं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

12. 47 वर्षों में वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

47 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2017-18 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण परिशिष्ट-''बी'' में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के सदर्भ में यदि कुछ होता है तो उचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
2. उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है और उचित एवं विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2018 तक निगम की कार्य प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।
4. उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।
5. कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार किया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

इस वर्ष निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम 2013, संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों के ज्ञान में इजाफा तथा नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन एवं आधुनिक कार्यालय प्रबंधन से संबिंधत प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यक व्यवस्था की है। निगम के कुल 82 कर्मचारीगण ऐसे प्रशिक्षणों में गये।

विश्व एचआरडी कांग्रेस से ''सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार'' स्वीकार करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और मुख्य (सतर्कता एवं प्रशा.)

निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण है। सामान्य/पेंसन संबंधी शिकायतों को ऑन लाइन दर्ज करने एवं उसके समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एक पोर्टल (सपेनग्राम्स) चालू किया गया है।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है। निगम ने वस्त्र मंत्रालय के निदेशानुसार एक पारदर्शिता अधिकारी की भी नियुक्त की है। मांगी गई सूचना निर्धारित समय के अंदर दी जाती है।

नई दिल्ली में आरटीआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आरटीआई में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार प्राप्त करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और मुख्य (सतर्कता एवं प्रशा.)

17. मानव शक्ति

31.03.2018 तक निगम में 279 नियमित एवं 167 आकस्मिक कर्मचारीगण थे।

18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2018 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में अनु.जा. की सं. 42, अनु.ज.जा. की सं.17 और अ.पि.जा. की सं.24 थे।

19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के सम्बन्ध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगम ने एक समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत नहीं मिली है।

21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

यद्यपि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बजटीय नियतन नहीं है (ऐसी कोई विनिर्दिष्ट योजना निगम को नहीं सौंपी गई है) परन्तु उनके लिए वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी गई है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है और इसके फलस्वरूप 31.03.2018 तक निगम के 12 (बारह) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करता आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण हिन्दी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी

दिवस मनाया गया और 1 सितम्बर, 2017 से 13 सितम्बर, 2017 के बीच हिन्दी पखवाड़ा का भी आयोजन किया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेनेवाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर निगम के प्रधान कार्यालय में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में इसकी प्रगति के बारे में लगातार सूचित किया जा रहा है।

राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) कोलकाता का पुरस्कार प्राप्त करते हुए सीएमडी और हिंदी अधिकारी

23. विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम

30.10.2017 से 04.11.2017 तक विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त सप्ताह के दौरान कर्मचारियों द्वारा क्रिया-कलापों के सभी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन कार्य करने का प्रतिज्ञा लिया गया। सर्तकता व इसकी जागरुकता के महत्व का प्रचार-प्रसार करते हुए निगम के प्रधान कार्यालय के दिवारों पर पोस्टर एवं बैनर चिपकाये गये। एक परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया जिसमें श्री देवाशीष बसु, उप मु. स. अ., पूर्व रेलवे को मुख्य अतिथि के रूप में आंमत्रित किया गया जिन्होंने कर्मचारियों के साथ विभिन्न प्रकार के सतर्कता के विषय जैसे सतर्कता निवारक संबंधित नीतियों/प्रक्रियाओं पर परस्पर संवाद किया।

निगम के प्रधान कार्यालय में मनाया जा रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसमें श्री देबाशिष बसु, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्व रेलवे विशिष्ट अतिथि थे

24. बोर्ड के निदेशकगण

श्री पी. दाशगुप्ता, निदेशक (वित्त) ने 05.07.2018 को अपना कार्यालय छोड़ दिया। बोर्ड ने श्री दाशगुप्ता द्वारा निगम के निदेशक (वित्त) के रूप में दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना रिकार्ड किया।

निदेशकगण को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निगम के इतिहास में प्रथम बार भारत के राष्ट्रपति ने बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की। डा. एस. के. पांडा, सेवानिवृत आईएएस एवं पूर्व सचिव (वस्त्र) ने 09.08.2018 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में निगम के बोर्ड में ज्वाइन किया। निदेशकगण ने निगम के बोर्ड में डा. पांडा का स्वागत किया।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरण का सार
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा

(i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
(ii)	पंजीकरण तिथि	02.04.1971
(iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	15एन,नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700087 दूरभाष: 033 2252 7027/7028 फैक्स: 91 33 2252 1771/7390
(vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
(vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यापार का क्रिया-कलाप

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा है, को दर्शाया जाय:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
(i)	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार और वितरण		100%

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ सह	रखे गये शेयरों की %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआईज-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) =(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्टिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.. सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्टिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शोयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
(i) मूल राशि	46.48 लाख रु.			46.48 लाख रु.
(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i)+(ii)+(iii)	46.48 लाख रु.	शून्य	शून्य	46.48 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
* बढ़ोतरी	3,612.50 लाख रु.	शून्य	शून्य	3,612.50 लाख रु.
* कटौती	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	3,612.50 लाख रु.	शून्य	शून्य	3,612.50 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
(i) मूल राशि	3,658.98 लाख रु.	शून्य	शून्य	3,658.98 लाख रु.
(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i)+(ii)+(iii)	3,658.98 लाख रु.	शून्य	शून्य	3,658.98 लाख रु.

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दंड/सजा/समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

निगम वस्त्र मंत्रालय के निदेशानुसार अपने कार्यालयों में कम उर्जा खपत होनेवाले लाइटों का उपयोग करता है और एलईडी लाइटों को लगाया है। उर्जा संरक्षण हेतु एक उपाय के रूप में विभिन्न जूट उगाही राज्यों में फील्ड प्रदर्शन के साथ-साथ समायोज्य स्प्रिंग लोडिंग रोलर के साथ सज्जा मशीन का परिष्करण भी किया गया है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए मेसर्स एम.सी. जैन, सनदी लेखापाल, कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

28. आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स घोसाल एवं घोसाल, आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स एम.सी.जैन एवं कं., सनदी लेखापाल, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक एवं कम्पनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अन्त में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

डा. के. वी. आर. मूर्ति
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.09.2018

प्रधान कार्यालय में ''विश्व योग दिवस'' मनाया जा रहा है

निगम के कर्मचारीगण ''स्वच्छता ही सेवा'' रैली में भाग लेते हुए

परिशिष्ट-''ए''

वित्तीय परिणाम 2017-18

(रुपये लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट			विविध	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक	जूट बीज	जूट उत्पाद	
आय					
विक्रय	17,196.00	210.27	580.79	17.01	18,004.07
ब्याज	309.45	0	0	0.70	310.15
सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	4,678.00	0	0	0	4,678.00
अन्य जमा	307.72	0	0	0	307.72
अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण	0	2,295.07	0	0	2,295.07
अन्तिम स्टॉक	10,425.28	3,471.95	87.53	4.11	13,988.87
पूर्व अवधि का समायोजन	0	0	0	0	0
कुल :	**32,916.45**	**5,977.29**	**668,32**	**21.82**	**39,583.88**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	2,997.49	6,471.72	0	5.11	9,474.32
क्रय	17,215.89	21.48	596.10	13.40	17,846.87
व्यापारिक खर्चे	1,331.92	53.76	1.15	0	1,386.83
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	134.46	51.74	0	0	186.20
अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण	2,295.07	0	0	0	2,295.07
स्थायी खर्च	5,476.18	0	0	7.04	5,483.22
पूर्व अवधि का समायेजन	6.46	0	0	0	6.46
कुल :	**29,457.47**	**6,598.70**	**597.25**	**25.55**	**36,678.97**
अधिक्य(+)/कमी(-)	3,458.97	-621.42	71.07	-3.73	2,904.91
ब्याज और मूल्यह्रास के पहले एक वर्ष का परिचालन					
ब्याज	149.01	0	0	0	149.01
मूल्यह्रास और परिशोधन	9.77	0	0	0	9.77
आयकर के लिए प्रावधान	953.32	0	24.60	0	977.91
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	2,346.87	-621.42	46.47	–3.73	1,768.20
प्रस्तावित लाभांश	0	0	0	0	530.50
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0	0	0	0	108.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0	0	0	0	1,129.70
31.3.2017 तक आरक्षित एवं अधिशेष	0	0	0	0	10,860.74
31.3.2018 तक आरक्षित एवं अधिशेष	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,990.44**

परिशिष्ट-''बी''

47 वर्षों (1971-72 से 2017-2018) की लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रुपये करोड़ में)

		2017-2018 तक संचयी	कुल व्यय 4,904.45 रुपये के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
1.	**आय**		
	विक्रय	3,342.80	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	625.10	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	249.97	
	अन्तिम स्टॉक	139.88	
		4,374.23	**89**
2.	**व्यय** (स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	2,784.57	
	व्यापारिक एवं परिचालन व्यय	312.51	
	भंडारण	94.35	
	बीमा	32.31	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.23	
		3,239.97	66
3.	स्थायी खर्च एवं ब्याज के पहले का अधिशेष (1-2)	1,134.26	
4.	बाद : स्थायी खर्च	1,080.07	**22**
5.	ब्याज के पहले का अधिशेष/(कमी) (3-4)	54.19	
6.	योग : उधार पर ब्याज	(584.41)	**12**
		(530.22)	
7.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)	62.07	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17 एवं 2017-18)	9.77	
	हानि :	(602.43)	
8.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
9.	वित्तीय पुन:संरचना के फलस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
10.	वित्तीय पुनर्गठन के फलस्वरूप पूँजीगत लाभ	22.96	
11.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2017-18 तक का लाभ (जमा अंक) (8+9+10-7)	119.90	

परिशिष्ट ''सी''

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रुपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों करना है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं वजट का कार्यक्रम 1. आउटरीच (स्कूलों में स्वच्छता अभियान) 2. स्वच्छ उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग) 3. डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार 4. स्वच्छता पखवाड़ा क्रिया-कलापें 5. विभिन्न आरओज/डीपीसीज में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 6. कान का मशीन दान, लेप्रोसी सोसाइटी, अंधे सोसाइटी एवं अन्य मदों में अंशदान जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर क्रिया-कलापों में मान्यता दी गई है।
2. सीएसआर की समिति का गठन	1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भापनि 2. संयुक्त सचिव (जूट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार 3. निदेशक (वित्त), भापनि
3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर के पहले) (2014-15, 2015-16 एवं 2016-17)	15,76,00,000 रुपये
4. निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	31,51,000 रुपये
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1. वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जानेवाली कुल राशि 2. अव्ययित राशि, यदि कुछ हो 3. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग	1. 31,51,000 रुपये 2. 2018-19 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15.45 लाख रु. खर्च की जाएगी। 3. खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे के तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 2017-18 में खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्रम	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/जिला	राशि (रु. में)
i.	आउटरीच (स्कूलों में स्वच्छता अभियान)।	स्वच्छ भारत/ स्वच्छता	पश्चिम बंगाल एवं असम	1,20,000
ii.	स्वच्छ उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग)।	स्वच्छ भारत	पश्चिम बंगाल एवं असम	1,20,000
iii.	डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार।	स्वच्छ भारत	पूरे भारतवर्ष	2,85,000
iv.	स्वच्छता पखवाड़ा क्रिया-कलापें।	स्वच्छ भारत	पश्चिम बंगाल	2,50,000
v.	विभिन्न आरओज/डीपीसीज में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य	पूरे भारतवर्ष	7,79,548
vi.	कान का मशीन दान, लेप्रोसी सोसाइटी, अंधे सोसाइटी एवं अन्य मदों में अंशदान जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर क्रिया-कलापों में मान्यता दी गई है।	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	51,000
	कुल			**16,05,548**

6. चिह्नित राशि को खर्च नहीं करने का कारण	वर्ष के अंत में संबंधित क्रिया-कलापें पूर्ण होनेवाले थे। योजना पूरी हो जाएगी एवं 2018-19 में खर्च की जाएगी जैसाकि क्र.सं. 2 में दर्शाया गया है।
7. सीएसआर की समिति से विवरण	सीएसआर की समिति ने पुष्टि की है कि सीएसआर से संबंधित खर्च पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रुपरेखा के अनुरुप किया गया है।

तालिका - वित्तीय वर्ष 2016-17 के सीएसआर के खर्च के बजट से संबंधित अव्ययित राशि के विरूद्ध खर्च की गई राशि का ब्यौरा (वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च)

क्रिया-कलाप	राशि (रु. में)
बालिकाओं के स्कूल में वितरण के लिए नैपकिन निपटान मशीनें (बालिकाओं के स्कूलों में सीएसआर क्रिया-कलापें)	6,00,000
प्रधानमंत्री के राहत निधि में अंशदान	50,000
स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	50,000
स्कूलों में स्वच्छता अभियान	1,69,560
सार्वजनिक शौचालयों का सौंदर्यीकरण हेतु सफाई	1,39,886
स्वास्थ्य जांच शिविरें	79,548
कुल	**10,88,994**

2017-18 के दौरान सीएसआर के लिए कुल खर्च 26,94,592 रु. वहन किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के सीएसआर के बजट की अव्ययित राशि 10,88,994 रु. शामिल है जो 2017-18 में खर्च हुआ एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीएसआर खर्च के लिए 16,05,548 रु. का बजट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्ययित बजट की राशि 15,45,000 रु. एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 का अव्ययित बजट की राशि 6,00,000 रु. को 2018-19 में खर्च करने की योजना है जिसकी समुचित टिप्पणी को वार्षिक लेखा 2017-18 में शामिल किया गया है।

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	ब्यौरा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	12574.94	8945.39	2134.02	6330.17	18004.07
	अन्य आय	6874.60	6322.53	6096.21	5948.53	5295.87
	खर्च	17797.06	13655.19	6395.47	11047.80	20547.37
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	5.38	3.51	5.90	(58.10)	6.46
	कर के पहले लाभ	1647.10	1609.21	1828.84	1289.00	2746.11
	कर	660.00	595.62	715.00	353.00	977.92
	आस्थगित कर खर्चे	–	(41.46)	25.25	16.21	0.00
	कर के उपरांत लाभ	987.10	1055.05	1088.60	919.80	1768.20
	लाभांश कर सहित लाभांश	–	–	–	332.19	638.50
	सामान्य रिजर्व में राशि स्थानांतरण	987.10	1055.05	1088.60	587.61	1129.70
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	8637.26	9684.54	10773.13	11360.74	12490.44
	अप्रचलित परिसम्पत्तियां	254.38	292.03	249.62	243.64	238.99
	चालू परिसम्पत्तियां	16456.15	16193.99	17235.87	19074.52	26399.78
	इक्विटी एवं देयताएं					
	(i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	(ii) आरक्षित एवं अधिशेष	8137.26	9184.54	10273.13	10860.74	11990.44
	अप्रचलित देयताएं	3084.16	4178.11	3722.76	3446.25	3318.82
	चालू देयताएं	4989.11	2623.37	2989.60	4511.17	10829.52
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.13	0.18	0.86	0.20	0.15
	पीएटी/कुल कारोबार	0.08	0.12	0.51	0.15	0.10
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.19	0.17	0.17	0.11	0.22
	पीएटी/कुल मूल्य	0.11	0.11	0.10	0.08	0.14
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कई बार)	1.46	0.92	0.20	0.56	1.44
	प्राप्तियोग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	3.07	7.88	8.16	0.93	26.05

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केन्द्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन'') में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय में और जहाँ तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है:-

i. मार्ग-दर्शन का खंड 3.1.4 : कि यदि सीपीएसई सूचीबद्ध नहीं है तो बोर्ड के सदस्य का कम-से-कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकगण होना चाहिए।

ii मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.1 : कि लेखापरीक्षा समिति का दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकगण होगा।

iii मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.2 : कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
आईसीएआई पंजी. सं.304012ई

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
02 सितम्बर, 2018

क्षेत्रीय कार्यालय

31.3.2018 तक

राज्य		आरओ/आरएलडी	डीपीसी की संख्या
पश्चिम बंगाल	1.	कोलकाता आरएलडी	22
	2.	कृष्णानगर	15
	3.	बेथुवाडहरी	11
	4.	बरहमपुर	13
	5.	तुलसीहाटा आरएलडी	10
	6.	सिलीगुड़ी	10
	7.	कूचबिहार	9
बिहार		फारबिसगंज आरएलडी	17
असम/मेघालय	1.	जुरिया आरएलडी	10
	2.	गौरीपुर आरएलडी	5
	3.	गुवाहाटी	7
त्रिपुरा		अगरतला	2
ओडिसा		भद्रक	6
आन्ध्र प्रदेश		पार्वतीपुरम्	4
			141

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2018 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, वर्ष के अंत तक का नगद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विर्निदिष्ट लेखाकरण मानक सहित साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लोखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व उपयोग, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण है; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से कार्य कर रहा था, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबधित जो सही एवं स्वच्छ तस्वीर देता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इस वित्तीय विवरणों पर अपने विचार को प्रकट करें।

हमने इस अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानक व इससे संबंधित विषय-वस्तु को खाते में लिये हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट व इसके अधीन बने नियमों में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्निदिष्ट लेखाकरण मानक के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है। उस मानकों की आवश्यकता है कि क्या वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त है के बारे में विश्वासनीय आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम लेखा परीक्षण के नीतिगत आवश्यकताओं एवं योजना व कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये राशि एवं प्रकटन से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय पर यह प्रक्रिया चयनित किया गया है जिसमें वित्तीय विवरणों में गलत विवरण दस्तावेज के जोखिम का निर्धारण चाहे जालसाजी अथवा गलती से हो शामिल है। ऐसे जोखिम निर्धारण बनाने में लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के स्वरूप के लिए कंपनी की तैयारी एवं वित्तीय विवरणों का स्वच्छ प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो इस परिस्थितियों में उचित है, लेकिन क्या कंपनी के पास वित्तीय जानकारी एवं

ऐसी नियंत्रणों का प्रभावीपूर्ण परिचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, पर विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। लेखापरीक्षा में कंपनी के निदेशकगण द्वारा बनाये गये लेखाकरण अनुमानों के औचित्य व उपयोग में लाये गये लेखाकरण नीतियों के विनियोजितपूर्णता के मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समस्त प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा की राय का आधार प्रदान करने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह पर्याप्त एवं उचित है।

सशर्त राय के लिए आधार

1. कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध ऋणदाताओं, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिभूति एवं बयाना जमा, बकाया देयताएं, अन्य देय व अन्य अग्रिमों के नामें/जमा राशि से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने की कोई भी प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि का सबंध है, इसे तत्पश्चात वसूला अथवा मुक्त नहीं किया गया है जिसका पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 07, 08, 13 व 15 देखें)।

2. जूट बीज की बिक्री में 72,21,068 रु. शामिल है जैसाकि दर्शाया गया है कि 31.03.2017 तक न बेची गई स्टॉक 57,773 किलो के विक्रय से लाभ होगा। तथापि 31.03.2017 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार जूट बीज का ऐसा अंतिम स्टॉक नहीं था। यह विषय व्याख्या के बिना है (टिप्पणी-17 देखें)।

3. टिप्पणी 8 एवं 15 - कंपनी ने नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से प्राप्त निधि की प्रविष्टियां एवं आई-केयर परियोजना, सज्जा मशीन परियोजना, संतृप्ति परियोजना, एन्जाइम रेटिंग परियोजना, सामान्य सुविधा केन्द्र, पाइलट प्रोजेक्ट एवं भुवनजंप परियोजना हेतु उसके उपयोग के रिकार्ड के लिए समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखों में नामें/जमा शेष राशि को रखा गया है और एनजेबीए से इसकी पुष्टि एवं समाधान की जानी है।

   आई-केयर परियोजना (चरण-III) एवं भुवनजंप परियोजना की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से क्रमशः 8,89,569 रु. एवं 13,88,526 रु. प्राप्ति योग्य है। तथापि निगम के लेखा बही के अनुसार आई-केयर (चरण-III) के लिए प्राप्ति योग्य राशि-शून्य है एवं भुवनजंप परियोजना हेतु प्राप्ति योग्य राशि 42,498 रु. मात्र है। राशि के बीच अंतर जैसाकि संबंधित परियोजनाओं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ लेखा बही में दर्ज किया गया है, वह व्याख्या के बिना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है। फिर आई-केयर परियोजना (चरण-III) हेतु प्राप्ति योग्य पर्यवेक्षण प्रभार के खाते में 43,28,075 रु. की आय को बही में नहीं दर्शाया गया है।

4. खर्च एवं अन्य देय की देयता में 6,22,94,902 रु. शामिल है जिसका मदवार विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी-8 देखें)।

5. विक्रय से संबंधित वैट/विक्रय कर के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि का संग्रह की गई वैट/विक्रय कर के साथ समायोजन नहीं हुआ है और दोनों की राशि को अलग से अग्रिम विक्रय कर/वैट एवं वैट/विक्रय कर हेतु प्रावधान के रुप में खाता में रखा गया है। 31.03.2018 तक का अग्रिम विक्रय कर/वैट की कुल राशि 3,15,31,231 रु. का वर्ष/मदवार ब्यौरा एवं 31.03.2018 तक का विक्रय कर/वैट हेतु रखे गये प्रावधान की कुल राशि 3,12,96,831 रु. से ध्यान में आया कि वर्ष के अधिकांश समय भुगतान की गई अग्रिम विक्रय कर/वैट की राशि रखे गये प्रावधान के साथ मेल नहीं खा रहा है जो अस्पष्टीकृत है। आगे विक्रय कर हेतु रखे गये 46,75,050 रु. का प्रावधान के लिए वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी-16 देखें)।

6. टिप्पणी सं. 9 - कंपनी द्वारा उनके आयकर देयता हेतु भुगतान की गई आयकर को संबंधित वर्ष हेतु सृजित/रखे गये प्रावधान के साथ समायोजित नहीं किया गया है एवं दोनों ही राशि को अलग से आयकर हेतु अग्रिम आयकर एवं प्रावधान के रूप में

खाता में रखा गया है। वर्षवार ब्यौरा से ध्यान में आया है कि 2008-09 तक के निर्धारण वर्षों के लिए अग्रिम कर के विरूद्ध 1,48,62,773 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 8,55,272 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 1,40,07,501 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि जैसाकि सूचित किया गया है कि ऐसी कोई भी वापसी राशि बकाया नहीं है और इस प्रकार खाते में रखे गये प्रावधानों में 1,40,07,501 रु. कम है। फिर सहायक वर्ष 2009-10 हेतु अग्रिम कर के विरूद्ध 20,88,30,199 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 17,10,55,138 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 3,77,75,061 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि सहायक आदेश (धारा 263 दिनांक 31.03.2015 के अंतर्गत) के अनुसार 12,82,55,104 रु. भुगतान करने के लिए बकाया है और इस प्रकार खाते में रखे गये प्रावधानों में 16,60,30,165 रु. कम है।

7. खाते में रखे गये निम्नलिखित जमा राशि की पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 एवं 15 देखें)।

   * नेशनल जूट बोर्ड 28,99,420 रु. (नामें)

   * जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,27,011 रु. (जमा)

सशर्त राय

हमारे राय से एवं जहाँ तक हमें सूचना है एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार उपरोक्त सशर्त राय के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर इस अधिनियम के द्वारा अपेक्षित सूचना को उक्त वित्तीय विवरणियों में दी गई है एवं भारत में साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च 2018 तक कंपनी के कार्य विवरण एवं इसके लाभ और उस तिथि को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस मामले के जोर

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. टिप्पणी सं.18 - वर्ष की समाप्ति के दौरान बही में बकाया पुरानी देयताएं जो अब देय नहीं है, की कुल रीशि 1,37,02,524 रु. को दर्शाया गया है एवं उसे लाभ-हानि खाता में जमा किया गया है।

2. टिप्पणी सं.8 - खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में विगत वर्षों से संबंधित मार्केट लेवी देय के लिए देयता शामिल है जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना से उसकी मात्रा आसानी से अभिनिश्चित योग्य नहीं है।

3. टिप्पणी सं.8 - 31.03.2018 तक ग्राहकों से बकाया अग्रिम राशि 2,85,91,726 रु. में जमा कुल राशि 31,96,914 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

4. टिप्पणी सं.4 एवं 14 - जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि 1,07,02,832 रु. को संबंधित परियोजानाओं में जमा की गई है एवं उसे लेखा बही में आय के रूप में नहीं दर्शाये गए हैं। तथापि उस वर्ष की आयकर देय हेतु आय के रूप में उसे विचारा गया है एवं कपंनी द्वारा प्राप्त ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।

5. टिप्पणी सं.15 - अन्य पार्टियों को अग्रिम में 8,46,522 रु. शामिल है जो गोदाम मालिकों से वापसी योग्य खर्च है जिसे कंपनी ने गोदाम के मरम्मत व नवीकरण पर वहन किया है। उसका मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए हमारे तरफ से असत्यापित है। तथापि कंपनी ने पूरे राशि के लिए प्रदान किया है एवं इसे खाते में 8,46,522 रु. का प्रावधान रखा है।

6. टिप्पणी सं.14 – 31.03.2018 तक निम्नलिखित बैंक खातों में रखे गए जमा राशि की पुष्टि की जानी है:

   (ए) सीबीई-सीए-नई दिल्ली 29,871 रु.

   (बी) एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) 551.80 रु.

   (सी) सीबी-असक्राफ्ट (बैलिंग सेंटर) 1,970.92 रु.

7. टिप्पणी सं.19 – 31.03.2017 को समाप्त वर्ष का परिचालन खर्च 3,27,45,331 रु. की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का परिचालन खर्च 6,73,33,464.50 रु. है। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु संबंधित वर्षों का कुल खरीद की प्रतिशतता में 3.90% कार्य हुआ है एवं 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में 2.46% हुआ है। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु परिचालन खर्च में 58.54% की सीधे बढ़ोतरी का व्याख्या किये बिना है।

8. टिप्पणी सं.19 – परिचालन खर्च हेतु 6,73,33,464.50 रु. वहन हुआ है जिसे कंटेक्टर (सरदार) को अधिकतम श्रम भुगतान के रूप में किया गया है एवं इसलिए संविदात्मक भुगतान होने के नाते वह धारा 194सी के अंतर्गत टीडीएस बनता है। फिर भी ऐसे भुगतान पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई है।

9. टिप्पणी सं.23 – मरम्मत एवं नवीकरण में 52,50,477 रु. शामिल है जिसे जेटीएम परियोजना के अंतर्गत निर्मित गोदामों पर व्यय किया गया है। ऐसे गोदामों का उपयोग निगम द्वारा किया जा रहा है परन्तु निगम का अपना नहीं है।

10. टिप्पणी सं.15 – वर्ष के दौरान निगम ने खरीददारी के एवज में कृषकों/अनजान व्यक्तियों को 1,44,56,518 रु. का अधिक भुगतान किया है। जैसाकि बताया गया कि साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण हुई है। 31.03.2018 तक 89,37,131 रु. की वसूली हुई है और 31.03.2018 तक शेष राशि 55,19,387 रु. वापसी योग्य है जिसे अल्पावधि ऋण एवं पेशगियां के अंतर्गत अन्य पार्टियों को अग्रिम शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंबित किया गया है।

    हमारा राय इन विषयों के संबंध में योग्य (क्वालिफाइड) नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्त्तानुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखपरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि अपेक्षित है एवं कंपनी के बही-खाते व रिकार्ड्स की जांच के आधार पर जैसाकि हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना व व्याख्याओं के अनुसार हमने आदेश के पैरा 3 एवं 4, लागू होने तक, में विनिर्दिष्ट ममलों पर ''संलग्नक -ए'' में विवरण दिये हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के शर्तानुसार जांच होने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए दिशा-निदेश जारी किया है जिसके अनुपालन का उल्लेख ''संलग्नक-बी'' में किया गया है।

3. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

   (i) लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

   (ii) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते जो कंपनी को विधिवत रखनी चाहिए, हमारे जांच के समय देखा गया कि उन्होंने उसे सही ढंग से रखे हैं।

   (iii) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।

   (iv) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 के साथ-साथ इस

अधिनियम की धारा 133 के अतंर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

(v) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के शर्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट ''संलग्नक-सी'' में देखें और

(vii) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य ममलों के संदर्भ में हमारी राय व जानकारी से और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को दर्शाया है। वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 27 का अवलोकन करें।

बी. कंपनी ने कोई दीर्घकालिक अनुबंध, अमौलिक अनुबंध सहित नहीं किया है जिससे पहले ही से हानि का अनुमान लगाया जा सके।

सी. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित होने की आवश्यकता पड़े।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं.304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
05 जुलाई, 2018

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-1 में दर्शाये गये संलग्नक-ए

1. (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है जिसमें निश्चित परिसम्पतियों की मात्रात्मक ब्यौरा एवं परिस्थिति शामिल है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर कंपनी की निश्चित परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यायन किया गया है। जैसाकि हमें सूचित किया गया है, ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

   (सी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर अचल परिसम्पतियों का अधिकार-पत्र कंपनी के नाम से है।

2. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर ध्यान में आई विसंगतियों का महत्व नहीं था और उसे लेखा के बही-खाते में उचित ढंग से निपटाया गया है।

3. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रख-रखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(iii) (ए), (बी) एवं (सी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

4. हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है अथवा किसी प्रकार का विनिवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दिया है और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के अंतर्गत शामिल है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(iv) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

5. इस अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित तक तैयार नियमों के अन्दर कंपनी ने पब्लिक से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी के उत्पादों के लागत रिकार्डों का रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

7. (ए) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा भविष्य निधि, कर्मयारियों का राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु के उत्पादन पर लगाए जानेवाला कर, अधिशेष एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सम्मलित करते हुए अविवादित सांविधिक बकाया राशि से संबंधित राशि की कटौती/संचय की गई है। हम सूचित करते हैं कि कंपनी पर कर्मचारियों का राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार निर्धारण वर्ष 2004-05 का आयकर की बकाया राशि 6,77,691 रु. एवं निर्धारण वर्ष 2009-10 का आयकर की बकाया राशि 12,82,55,104 रू. को छोड़कर 31 मार्च 2018 तक उपरोक्त सांविधिक बकाया राशि से संबंधित कोई भी अविवादित राशि देय तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि का बकाया नहीं है।

   (बी) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विवादित होने के कारण निम्नलिखित सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं हुई है :

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रवृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि शामिल (रु. लाख में)	अवधि जिससे संबंधित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास दायर किया गया है।	108.23	नि.व. 2004-05
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास दायर किया गया है।	99.25	नि.व. 2005-06
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास दायर किया गया है।	0.15	नि.व. 2007-08
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास दायर किया गया है।	1170.57	नि.व. 2008-09
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास दायर किया गया है।	22.28	नि.व. 2013-14

8. हमारी राय से एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार एवं निष्पादित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर कंपनी बैंक को बकाया राशि का पुन: भुगतान करने में कसूरवार नहीं है। वर्ष के दौरान कंपनी पर वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से संबंधित कोई भी बकाया राशि नहीं है और कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।

9. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश/दुवारा सार्वजनिक पेशकश/ ऋण के साधन एवं आवधिक ऋण के माध्यम से कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(ix) का प्रावधान लागू नहीं है।

10. हमारे लेखापरीक्षा की प्रकिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी अथवा कंपनी पर उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्टित किया गया है।

11. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

12. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xii)का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन हुआ है, जहां कहीं लागू और उसका ब्यौरा वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित है।

14. हमारे लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा संपूर्ण डिबेंचरों या आंशिक बदलने योग्य डिबेंचरों का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

15. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
05 जुलाई, 2018

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-2 में दर्शाये गये संलग्नक-बी

क्र. सं.	विवरण	जवाब
1.	क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्री होल्ड एवं लीज की जमीन के लिए विशुद्ध टाइटिल/लीज का दस्तावेज है ? यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड एवं लीज की जमीन के क्षेत्र बताएं जिसका टाइटिल/ लीज का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास केवल एक लीज होल्ड संपत्ति है जिसका टाइटिल दस्तावेज उपलब्ध है।
2.	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है। यदि हां तो उसका कारण एवं शामिल राशि।	मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर बट्टे खाते डाला गया है। ऋण/कर्ज/ब्याज की माफी/ बट्टे खाते डालने का ब्यौरा उसके वृहत कारणों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	बकाया राशि की प्रवृति	शामिल राशि (रु.में)	माफी/बट्टे खाते डालने का वृहत कारण
1.	विविध देनदारों के नामें जमा शेष राषि को बट्टे खाते डालना	40,730	पुराना बकाया राशि एवं वसूलने का कम मौका

3.	क्या तीसरे पार्टियों के पास पड़े वस्तुसूचियों के लिए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव होता है एवं सरकार व अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में परिसम्पतियां प्राप्त हुई है।	हमारी राय से एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार तीसरे पार्टियों के पास कोई भी वस्तुसूची पड़ा नहीं है। जैसाकि सूचित किया गया है, कंपनी ने सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं किया है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
05 जुलाई, 2018

उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के
''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट''
शीर्षक के अंतर्गत पैरा-3(vi) में दर्शाये गये संलग्नक-सी

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2018 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आतंरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रुप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रुप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसम्पतियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लागाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन की टिप्पणी'') एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आश्रित है जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल हैं। (1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसम्पत्तियों का लेन-देन व प्रबंध को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविम्बित करता है (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धन्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और (3) कंपनी के परिसम्पतियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत विवरणों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2018 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता-1
05 जुलाई, 2018

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निगम के लेखा पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	भाग-I : सशर्त राय का आधार :	
1.	कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों, ग्रहकों से अग्रिम, प्रतिभूति व बयाना जमा राशि, बकाया देयताएं, अन्य देय एवं अन्य अग्रिम के नामें/जमा शेष राशि से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि जिसे बाद में वसूला या मुक्त नहीं किया गया है, की पुष्टि/समाधान करना शेष है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चय योग्य नहीं है।	देनदारों/लेनदारों से जमा शेष राशि की पुष्टि करने की एक प्रणाली पहले से ही मौजूद है और जारी पत्र के कुछ नमूने लेखापरीक्षकों को दिखाए गए। लेखापरीक्षकों के समक्ष विविध देनदारों का पार्टीवार, मदवार एवं वर्षवार ब्यौरा, विविध लेनदारों, ग्राहकों से अग्रिम, सुरक्षा एवं बयाना राशि जमा, बकाया देयताएं अन्य देय एवं अन्य पेशगियों को प्रस्तुत किया गया। चूंकि भापनि मूल रूप से किसानों से तत्काल भुगतान कर जूट खरीदता है और ग्राहकों को क्रेडिट के पत्रों के विरूद्ध अग्रिम भुगतान/ तत्काल संग्रह के विरूद्ध बिक्री करता है इसलिए चालू अवधि में देनदारों/लेनदारों की मात्रा बहुत सीमित हो गया है और वह पूरी तरह से नियंत्रण में है। बहुत पुराने देनदार/लेनदार के जमा शेष राशि के संबंध में एक संपूर्ण समीक्षा प्रगति पर है और संबंधित देनदारों के लिए मामले के आधार पर प्रावधान बनाया गया है।
2.	जूट बीज की बिक्री में 72,21,068 रु. शामिल है जैसाकि दर्शाया गया है कि 31.03.2017 तक न बेची गई स्टॉक 57,773 किलो के विक्रय से लाभ होगा। तथापि 31.03.2017 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार जूट बीज का ऐसा अंतिम स्टॉक नहीं था। यह विषय व्याख्या के बिना है।	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारंभिक अविध के दौरान बेचे गये जूट बीज की कुल मात्रा को विशेष प्रक्रिया के अनुसार विक्रय वर्ष में बिक्री एवं क्रय दोनों के लिए लेखा के प्रभाव को दर्शाया गया है। इसलिए लेखा बही में उसका वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3.	कंपनी ने नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से प्राप्त निधि की प्रविष्टियां एवं आई-केयर परियोजना, सज्जा मशीन परियोजना, संतृप्ति परियोजना, एन्जाइम रेटिंग परियोजना, सामान्य सुविधा केन्द्र, पाइलट प्रोजेक्ट एवं भुवनजंप परियोजना हेतु उसके उपयोग के रिकार्ड के लिए समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखों में नामें/जमा शेष राशि को रखा गया है और एनजेबीए से इसकी पुष्टि एवं समाधान की जानी है। आई-केयर परियोजना	एनजेबी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को भापनि के लेखा बही में विभिन्न लेखा शीर्षकों के अधीन रखे गये हैं। एनजेबी के साथ मामले को उठाया गया है एवं उनकी पुष्टि/टिप्पणियों का इंतजार है। आई-केयर के मामले में, इसके चार चरण हैं जो एकल परियोजना के अंतर्गत आता है जिसका नाम आई-केयर परियोजना है। यदि सभी चरणों को लेखा में लिये जाएं तो जमा शेष राशि की स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी चरणों के लेखों को

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	(चरण-III) एवं भुवनजंप परियोजना की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से क्रमश: 8,89,569 रु. एवं 13,88,526 रु. प्राप्ति योग्य है। तथापि निगम के लेखा बही के अनुसार आई-केयर (चरण-III) के लिए प्राप्ति योग्य राशि-शून्य है एवं भुवनजंप परियोजना हेतु प्राप्ति योग्य राशि 42,498 रु. मात्र है। राशि के बीच अंतर जैसाकि संबंधित परियोजनाओं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ लेखा बही में दर्ज किया गया है, वह व्याख्या के बिना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है। फिर आई-केयर परियोजना (चरण-III) हेतु प्राप्ति योग्य पर्यवेक्षण प्रभार के खाते में 43,28,075 रु. की आय को बही में नहीं दर्शाया गया है।	सुलझाने के बाद अलग किया जाएगा।
4.	खर्च एवं अन्य देय की देयता में 6,22,94,902 रु. शामिल है जिसका मदवार विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है।	लेखा परीक्षक का मंतव्य वास्तिवक स्थितियों से थोड़ा अलग है। 31.03.2018 तक के कुल देयता एवं अन्य खर्चे में से लगभग 26.22 करोड़ रु. का 92% से अधिक का ब्यौरा लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए जमा किये गये थे। शेष 10% से कम राशि हेतु समीक्षा प्रक्रियाधीन है एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवश्यक लेखाकरण की उम्मीद है। विगत वर्षों से ऐसी समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार वर्ष के दौरान चिह्नीत देयता की राशि को बट्टे खाते में दर्शाते हुए टिप्पणी सं.18 को लेखा में समाविष्ट किया गया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है।
5.	विक्रय से संबंधित वैट/विक्रय कर के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि का संग्रह की गई वैट/विक्रय कर के साथ समायोजन नहीं हुआ है और दोनों की राशि को अलग से अग्रिम विक्रय कर/वैट एवं वैट/विक्रय कर हेतु प्रावधान के रुप में खाता में रखा गया है। 31.03.2018 तक का अग्रिम विक्रय कर/वैट की कुल राशि 3,15,31,231 रु. का वर्ष/मदवार ब्यौरा एवं 31.03.2018 तक का विक्रय कर/वैट हेतु रखे गये प्रावधान की कुल राशि 3,12,96,831 रु. से ध्यान में आया कि वर्ष के अधिकांश समय भुगतान की गई	वार्षिक लेखा: 2017-18 में इस लेखा पर सटीक स्थिति जो शुद्ध अग्रिम है, को चालू परिसंपत्तियों के वृहत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में मामले को ध्यान में रखते हुए आसानी हेतु और बेहतर नियंत्रण के लिए कई विगत वर्षों से बही में अलग से दिखाये गये प्रावधान एवं अग्रिम का रख-रखाव किया गया है। नियंत्रण को खोए बिना तर्किक रूप से स्थिति को संक्षेप में करने के लिए उपलब्ध पुराने कर निर्धारण/ टैक्स रिटर्न रिकार्डों हेतु सतत् प्रयास चल रहा है। इस मामले में प्रस्तुति के तरीके में अंतर के लिए लेखा बही

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	अग्रिम विक्रय कर/वैट की राशि रखे गये प्रावधान के साथ मेल नहीं खा रहा है जो अस्पष्टीकृत है। आगे विक्रय कर हेतु रखे गये 46,75,050 रु. का प्रावधान के लिए वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है।	पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
6.	कंपनी द्वारा उनके आयकर देयता हेतु भुगतान की गई आयकर को संबंधित वर्ष हेतु सृजित/रखे गये प्रावधान के साथ समायोजित नहीं किया गया है एवं दोनों ही राशि को अलग से आयकर हेतु अग्रिम आयकर एवं प्रावधान के रूप में खाता में रखा गया है। वर्षवार ब्यौरा से ध्यान में आया है कि 2008-09 तक के वर्षों के लिए अग्रिम कर के विरूद्ध 1,48,62,773 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 8,55,272 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 1,40,07,501 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि जैसाकि सूचित किया गया है कि ऐसी कोई भी वापसी राशि बकाया नहीं है और इस प्रकार खाते में रखे गये प्रावधानों में 1,40,07,501 रु. कम है। फिर सहायक वर्ष 2009-10 हेतु अग्रिम कर के विरूद्ध 20,88,30,199 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 17,10,55,138 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 3,77,75,061 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि सहायक आदेश (धारा 263 दिनांक 31.03.2015 के अंतर्गत) के अनुसार 12,82,55,104 रू. भुगतान करने के लिए बकाया है और इस प्रकार खाते में रखे गये प्रावधानों में 16,60,30,165 रु. कम है।	लेखापरीक्षक द्वारा दर्शाये गये का निर्धारण वर्षों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील का निर्णय अभी भी लंबित है। इस संबंध में मामले को ध्यान में रखते हुए आसानी से रख-रखाव करने हेतु एवं बेहतर नियंत्रण के लिए बही में अलग से आयकर हेतु अग्रिम आयकर एवं प्रावधान दर्शाया गया है। प्रस्तुति के तरीके में अंतर का लेखा बही पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
7.	खाते में रखे गये निम्नलिखित जमा राशि की पुष्टि/ समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 एवं 15 देखें)। * नेशनल जूट बोर्ड 28,99,420 रु. (नामें) * जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,27,011 रु. (जमा)	नेशनल जूट बोर्ड के लेखा में जमा शेष राशि के संबंध में पुष्टि के मामले को उनके पास उठाया गया है जैसाकि 'सशर्त राय का आधार' शीर्षक के अंतर्गत मद सं.3 के उत्तर में दर्शाया गया है। जूट प्रौद्योगिकी मिशन के लिए भापनि स्वयं कार्यान्वयन एजेंसी है और इस प्रकार पार्टी से पुष्टि प्राप्त करने का सवाल नहीं उठता है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
भाग-II : इस मामले के जोर		
1.	वर्ष की समाप्ति के दौरान बही में बकाया पुरानी देयताएं जो अब देय नहीं है, की कुल राशि 1,37,02,524 रु. को दर्शाया गया है एवं उसे लाभ-हानि खाता में जमा किया गया है।	विगत वर्ष के लेखापरीक्षा टिप्पणी के साथ अनुपालन करने के लिए देयता स्थिति की आवश्यक समीक्षा करने के उपरांत इसे लेखा टिप्पणी सं.18 में दर्शाया गया है।
2.	खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में विगत वर्षों से संबंधित मार्केट लेवी देय के लिए देयता शामिल है जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना से उसकी मात्रा आसानी से अभिनिश्चित योग्य नहीं है।	बाजार लेवी हेतु पुराना देयता निपटारण के प्रक्रियाधीन है एवं उसके लिए क्षेत्रों को संबंधित मार्केट यार्डों से मांग की प्रतियां भेजने के लिए सलाह दी गई है जो प्रधान कार्यालय के रिकार्डों में आसानी से पता योग्य नहीं था।
3.	31.03.2018 तक ग्राहकों से बकाया अग्रिम राशि 2,85,91,726 रु. में जमा कुल राशि 31,96,914 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	वित्तीय वर्ष 2018-19 में मामले का समीक्षा करने एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए नोट किया गया।
4.	जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि 1,07,02,832 रु. को संबंधित परियोजानाओं में जमा की गई है एवं उसे लेखा बही में आय के रूप में नहीं दर्शाये गए हैं। तथापि उस वर्ष की आयकर देय हेतु आय के रूप में उसे विचारा गया है एवं कपंनी द्वारा प्राप्त ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि इन परियोजनाओं का एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसे सावधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से सृजित आय का दावा नहीं कर रहा है। तथापि, चूंकि ये सावधिक जमा राशि भापनि के नाम से है और भापनि के पैन के विरुद्ध बैंकों द्वारा टीडीएस की कटौती की जा रही है इसिलए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के बीच आवश्यक आयकर समायोजन के प्रविष्टियों की प्रक्रिया चल रही है।
5.	अन्य पार्टियों को अग्रिम में 8,46,522 रु. शामिल है जो गोदाम मालिकों से वापसी योग्य खर्च है जिसे कंपनी ने गोदाम के मरम्मत व नवीकरण पर वहन किया है। उसका मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए हमारे तरफ से असत्यापित है। तथापि कंपनी ने पूरे राशि के लिए प्रदान किया है एवं इसे खाते में 8,46,522 रु. का प्रावधान रखा है।	जैसाकि लेखापरीक्षकों ने दर्शाया है, हमारे बही में राशि को उपयुक्त ढंग से दर्शाया गया है। इसे लेखा टिप्पणी सं.15 में दर्शाया गया है।
6.	टिप्पणी सं. 14 - 31.03.2018 तक निम्नलिखित बैंक खातों में रखे गए जमा राशि की पुष्टि की जानी है: (ए) सीबीई-सीए-नई दिल्ली 29,871 रु.	सीबीआई-सीए-दिल्ली कार्यालय का वह जमा राशि 14-15 से जारी है और एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) व सीबी-असक्राफ्ट (बैलिंग सेंटर) का वह जमा राशि 09-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	(बी) एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) 551.80 रु. (सी) सीबी-असक्राफ्ट (बैलिंग सेंटर) 1,970.92 रु.	10 से जारी है। 2018-19 में प्रबंधन द्वारा गैर-ऑपरेटिंग बैंक खातों की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
7.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष का परिचालन खर्च 3,27,45,331 रु. की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का परिचालन खर्च 6,73,33,464.50 रु. है। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु संबंधित वर्षों का कुल खरीद की प्रतिशतता में 3.90% कार्य हुआ है एवं 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में 2.46% हुआ है। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु परिचालन खर्च में 58.54% की सीधे बढ़ोतरी का व्याख्या किये बिना है।	परिचालन खर्चे में सहकारी समितियों को भुगतान की गई सेवा प्रभार के रूप में 1,41,94,328 रु. शामिल है जो उनके द्वारा खरीदे गये के लिए पूर्व-सहमति दर था। परिचालन खर्चे खरीददारी से संबंधित क्रिया-कलाप तक सीमित नहीं है बल्कि विक्रय क्रिया-कलाप से भी संबंधित है। इस चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) में बिक्री की मात्रा में काफी वृद्धि हुई थी। आगे इसे समीक्षा प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा।
8.	परिचालन खर्च हेतु 6,73,33,464.50 रु. वहन हुआ है जिसे कंटेक्टर (सरदार) को अधिकतम श्रम भुगतान के रूप में किया गया है एवं इसलिए संविदात्मक भुगतान होने के नाते वह धारा 194सी के अंतर्गत टीडीएस बनता है। फिर भी ऐसे भुगतान पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई है।	निगम विनियमित बाजार यार्ड से अधिकतम मजदूरों को भाड़े पर लेता है और मजदूरों को व्यक्तिगत भुगतान करता है। व्यक्तिगत मजदूर होने के कारण व्यक्तिगत भुगतान किया गया है और टीडीएस की सीमा से अधिक भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए 194सी के अंतर्गत टीडीएस की कटौती ऐसे मामले में लागू नहीं है।
9.	मरम्मत एवं नवीकरण में 52,50,477 रु. शामिल है जिसे जेटीएम परियोजना के अंतर्गत निर्मित गोदामों पर व्यय किया गया है। ऐसे गोदामों का उपयोग निगम द्वारा किया जा रहा है परन्तु निगम का अपना नहीं है।	28.06.2016 को अनुष्ठित 238वीं बोर्ड की बैठक में बोर्ड के निदेशकगण द्वारा पास की गई संकल्प के अनुसार जेटीएम के गोदामों का मरम्मत अथवा रख-रखाव खर्चे का वहन 28.06.2016 के बाद से निगम द्वारा किया जाएगा।
10.	वर्ष के दौरान निगम ने खरीददारी के एवज में कृषकों/ अनजान व्यक्तियों को 1,44,56,518 रु. का अधिक भुगतान किया है। जैसाकि बताया गया कि साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण हुई है। 31.03.2018 तक 89,37,131 रु. की वसूली हुई है और 31.03.2018 तक शेष राशि 55,19,387 रु. वापसी योग्य है जिसे अल्पावधि ऋण एवं पेशगियां के अंतर्गत अन्य पार्टियों को अग्रिम शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंबित किया गया है।	निगम ने एसएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑन लाइन (डीबीटी या सीधे लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सीधे कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की है। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों के पास बेचने के लिए इनपुट डेटा संसाधित किया गया था। हालांकि उक्त सॉफ्टवेयर में शुरुआती परीक्षण की समस्या के कारण सामान्य जोखिमों से परे एक अप्रत्याशित त्रुटि हुई जो कंप्यूटीकरण एवं जूट कृषकों व फील्ड के

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
		कर्मचारियों की समझ की कमी के कारण पूर्वदर्शी नहीं हो सका, कुछ त्रुटियां ऐसी डीबीटी के निष्पादन की प्रारंभिक अविध के दौरान हुई। प्रबंधन ने तुरंत गलत लाभार्थी के खाते में गए वास्तविक राशि (करीब 80%) की वसूली में अधिकतम प्रयास करते हुए हमारे बैंकर के साथ इस मामले को उठाया। हमने इस मामले को आरबीआई को भी सूचित किया है। इसके अलावा हम जमा शेष राशि की वसूली करने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहे हैं एवं कुल बकाया राशि की वसूली करने के लिए आश्वस्त हैं। विस्तृत ब्यौरा लेखा टिप्पणी सं.38 में दर्शाया गया है। भिवष्य में ऐसी किसी भी त्रुटि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। 1. बहु स्तरीय जांच करना 2. आरटीजीएस/एनईएफटी मेंडैट फार्म का प्रस्तावना 3. वित्त अधिकारी द्वारा नमूना के आधार पर जांच करना 4. सीएमडी का अनुमोदन प्राप्त कर साफ्टवेयर बदलना, यदि कुछ हो।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अतंर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 05 जुलाई 2018 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूं। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से हुआ है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मी के पूछताछ व कुछ लेखा रिकाडर्स का चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के अनुपूरक का जवाब दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

31 मार्च, 2018 तक का तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को	31.03.2017 को
I.	**इक्वीटी एवं दायित्व**			
	अंशधारियों की निधि			
	शेयर पूँजी	3 (ए)	5,00,00,000	5,00,00,000
	आरक्षित एवं अधिशेष	3 (बी)	119,90,43,886	108,60,73,944
	अप्रचलित देयताएं			
	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	20,32,37,969	19,81,60,853
	दीर्घावधि प्रावधान	5	12,86,43,559	14,64,63,475
	चालू देयताएं			
	अल्पावधि उधार	6	36,58,97,664	46,48,275
	व्यापारिक देय	7	15,23,30,252	11,10,70,010
	अन्य चालू देयताएं	8	39,51,08,230	25,83,62,238
	अल्पावधि प्रावधान	9	16,96,15,854	7,70,37,511
	कुल		**266,38,77,414**	**193,18,16,306**
(II)	**परिसम्पत्तियाँ**			
	अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
	प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10	2,32,14,432	2,35,23,826
	अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ		1,39,569	6,767
	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	5,45,313	5,40,242
	चालू परिसम्पत्तियाँ			
	वस्तुसूची	12	139,88,86,795	94,74,32,490
	व्यापारिक प्राप्य	13	46,90,05,489	58,82,534
	नकद एवं नकद समतुल्य	14	75,60,66,038	87,93,31,987
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	1,41,35,992	5,53,07,440
	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	16	18,83,786	1,97,91,020
	कुल		**266,38,77,414**	**193,18,16,306**
	सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1 एवं 2		
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियाँ	(26-41)		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ इस वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मुकेश कुमार पटवारी)	**(अभिक साहा)**	**(सीए पी. दाशगुप्ता)**	**(डा. के. वी. आर. मूर्ति)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं.056623		**डीआईएन-07059472**	**डीआईएन-07628725**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 05.07.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि का लाभ-हानि विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को	31.03.2017 को
I.	**राजस्व**			
	क्रिया-कलापों से राजस्व	17	180,04,07,147	63,30,17,437
	अन्य आय	18	52,89,41,227	60,06,62,548
	कुल राजस्व		**232,93,48,374**	**123,36,79,985**
II.	**खर्चे:**			
	व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चे का लागत	19	187,05,42,448	148,58,47,360
	व्यापारिक सामग्री की वस्तुसूची में परिवर्तन	20	(45,14,54,305)	(92,94,43,542)
	कर्मचारी लाभ खर्चे	21	49,93,96,691	46,82,67,892
	वित्तीय लागत	22	1,49,01,110	48,029
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	25	9,77,131	8,06,236
	अन्य खर्चे	23	10,97,33,291	6,00,62,416
	विविध खर्चे	24	1,06,40,835	1,91,91,354
	कुल खर्चे		**205,47,37,201**	**110,47,79,745**
	विशिष्ट एवं असाधारण खर्चे के पहले लाभ		27,46,11,173	12,89,00,240
	विशिष्ट मदें		–	–
	असाधारण मदें		–	–
	कर के पहले लाभ		**27,46,11,173**	**12,89,00,240**
	कर खर्चे:			
	वर्तमान कर		(9,77,91,500)	(3,53,00,000)
	आस्थगित कर		–	(16,20,654)
	कर के बाद लाभ		**17,68,19,673**	**9,19,79,586**
	इक्वीटी शेयर का औसतन सं. (प्रत्येक 100 रु. का अंकित मूल्य)		**5,00,000**	**5,00,000**
	मूल अर्जन प्रति शेयर		354	184
	मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		354	184
	सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ	1 एवं 2		
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियॉ	26-41		
	उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।			

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(सीए पी. दाशगुप्ता)
निदेशक(वित्त)
(डीआईएन-07059472)

(डा. के. वी. आर. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन-07628725)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 05.07.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	2017-2018	2016-2017
ए.	**परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह :**		
	कर एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पहले लाभ/(हानि) :	27,46,11,173	12,89,00,240
	समायोजन :		
	मूल्यह्रास/परिशोधन	9,77,131	8,06,236
	ब्याज आय	(3,10,15,301)	(7,27,69,317)
	वित्तीय लागत	1,49,01,110	48,029
	कार्यकारी पूंजी को परिवर्तन करने के पहले परिचालन लाभ	**25,94,74,113**	**5,69,85,188**
	चालू परिसम्पतियों, चालू देयताओं एवं प्रावधानों में परिवर्तन		
	वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	(45,14,54,305)	(92,94,43,542)
	विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	(46,31,22,955)	1,15,25,281
	ऋण एवं पेशगियां में (बढ़ोतरी)/कमी	5,90,73,612	(5,09,91,339)
	देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	11,78,89,801	12,76,31,812
		(47,81,39,736)	(78,42,92,600)
	बाद: प्रदत्त आयकर	(2,67,66,370)	(7,80,46,766)
	परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(50,49,06,106)**	**(86,23,39,366)**
बी.	**निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
	निश्चित/अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों का क्रय	(8,05,563)	(14,21,479)
	निश्चित/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	5,024	–
	प्राप्त ब्याज	3,10,15,301	8,14,11,813
	निवेश की गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**3,02,14,762**	**7,99,90,334**
सी.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
	ली गई अल्पावधि ऋण	36,12,49,389	46,48,275
	वित्तीय लागत	(1,49,01,110)	(48,029)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	34,63,48,279	46,00,246
	नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	(12,83,43,064)	(77,77,48,786)
	इस अवधि के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	**68,11,71,134**	**145,89,19,920**
	इस अवधि की समाप्ति पर नकद एवं नकद के समतुल्य	**55,28,28,069**	**68,11,71,134**

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(सीए पी. दाशगुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन-07059472

(डा. के. वी. आर. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07628725

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 05.07.2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एम ओ टी) के अधीन भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रांरभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किन्तु इसके बाद धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आन्ध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 141 विभागीय क्रय केन्द्र एवं 16 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीददारी करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य-समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर पहुँच जाता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिसपर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धान्त, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदण्ड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत रिबाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास :

(I) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

(II) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

(III) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से सीधे तौर पर लीजहोल्ड परिसर के अलावे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) संबंधी मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

(IV) लीजहोल्ड जमीन के परिसर के मूल्यह्रास को या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से उस अवधि में या जमीन लीज की अवधि में, जो भी पहले हो, दर्शाया गया है।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

(I) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 26) में परिभाषित किया गया है को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

(II) अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों को भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पाँच वर्ष के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियाँ

(I) मूल्य समर्थन क्रियाओं के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत इसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(II) वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन का औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(III) जूट से बनी वस्तुओं का कीमत उसकी लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(IV) जूट बीज का कीमत उसकी औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(V) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंको में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर के पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी

(ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्देशित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

(बी) आकस्मिक कर्मचारीगण

निगम ने वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

(ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्त्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

वास्तविक मूल्य में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

(iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों

ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान :

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्नलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/भुगतान पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज की आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य अभिकरणों के साथ दर्ज की गई अस्थाई दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहयता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

(एफ) बाजार लेवी को लेखा में दर्शाया जाता है जब कभी उसकी मांग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नियमक बाजार समिति द्वारा उठाया जाता हैं।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी करने के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक बार आगामी अविध में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रुप में समझा गया जब परिसंपत्तियों का ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रुप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरुप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 3(ए): शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
प्राधिकृत पूंजी		
100 रु. का प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
	5,00,00,000	5,00,00,000
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
100 रु. का प्रत्येक शेयर की सम्पूर्ण चुकता का 5,00,000 इक्वीटी शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
	5,00,00,000	5,00,00,000

(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों की संख्या का समाधान	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	–	–	–	–
बाद: वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	–	–	–	–
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000

(बी) इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार
कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है और इसमें शेयर होल्डर को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।

(सी) कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा।

शेयर होल्डर का नाम	**31 मार्च, 2018 तक**		**31 मार्च 2017 तक**	
	शेयरों की सं.	**होल्डिंग की %**	**शेयरों की सं.**	**होल्डिंग की %**
भारत के राष्ट्रपति	499998	99.99%	499998	99.99%

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 3 (बी): आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	108,60,73,944	–	102,73,13,056	–
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	17,68,19,673		9,19,79,586	
	126,28,93,617		111,92,92,642	
बाद : प्रस्तावित लाभांश	5,30,50,000	–	2,76,00,000	–
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश बंटन कर	1,07,99,731	119,90,43,886	56,18,698	108,60,73,944
शुद्ध अधिशेष		**119,90,43,886**		**108,60,73,944**

टिप्पणी 4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
परियोजना निधि में जमा शेष राशि		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	66,92,698	63,96,502
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1,17,305	1,17,305
आई जे एस जी	13,97,784	13,83,415
भारत सरकार से रिबनर का विकास	1,09,53,410	1,04,64,836
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	18,40,76,772	17,97,98,795
कुल	**20,32,37,969**	**19,81,60,853**

टिप्पणी 5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	3,84,92,722	4,54,33,200
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	9,01,50,837	10,10,30,275
कुल	**12,86,43,559**	**14,64,63,475**

टिप्पणी 6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएँ	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
भारतीय केन्द्रीय बैंक से नकदी ऋण	**36,58,97,664**	**46,48,275**
	36,58,97,664	**46,48,275**

नोट: नकदी ऋण वर्तमान और भविष्य दोनों के कच्चे जूट स्टॉक के गिरवी के माध्यम से सुरक्षित है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 7. व्यापारिक देय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
समस्त लेनदार	15,23,30,252	11,10,70,010
	15,23,30,252	**11,10,70,010**

टिप्पणी 8. अन्य चालू देयताएँ

ब्यौरा	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
बयाना जमा राशि	–	26,43,092	–	3,20,73,212
सुरक्षित जमा	–	5,80,000	–	15,00,000
प्रतिधारण राशि		1,43,99,201		–
भविष्य निधि देय	–	59,48,203	–	81,51,011
खर्चे का देयता एवं अन्य देय	–	26,21,93,737	–	17,42,70,494
परियोजना निधि में शेष राशि				
परियोजना आई-केयर	–	6,43,19,929	–	–
पायलट परियोजना खाता	–	47,748	–	47,748
परियोजना साजसज्जा मशीन	–	10,88,417	–	10,88,417
परियोजना संतृप्ति	–	48,38,462	–	48,38,462
सामान्य सुविधा केंद्र	–	32,91,241	–	44,05,998
ग्राहकों से अग्रिम	–	2,85,91,726	–	2,31,02,972
दावे देय	–	61,39,463	–	75,32,819
जूट बीज के लिए प्राप्त अग्रिम	–	–	–	3,22,000
जेटीएम से अग्रिम	–	10,27,011	–	10,29,105
	–	**39,51,08,230**	–	**25,83,62,238**

टिप्पणी 9. अल्पावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	14,65,917		18,46,233	
एल आई सी	–		66,69,712	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	3,65,07,998		4,42,71,051	
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	1,61,76,619		1,34,55,216	
		5,41,50,534		**6,62,42,212**
आयकर का प्रावधान				
विगत खाता के अनुसार शेष राशि	51,03,72,403		47,50,72,403	
वर्ष के दौरान योग	10,14,95,536		3,53,00,000	
	61,18,67,939		**51,03,72,403**	
बाद : अग्रिम कर प्रदत्त	(56,02,52,350)	5,16,15,589	53,34,85,980	(2,31,13,577)
सेवा कर के लिए प्रावधान	–	–	6,90,178	6,90,178
अन्य प्रावधान				
प्रस्तावित लाभांश	–	5,30,50,000	–	2,76,00,000
प्रस्तावित लाभांश पर कर	–	1,07,99,731	–	56,18,698
		16,96,15,854		**7,70,37,511**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 10. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि रुपये में)

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
						योग				
	31.03.2017 तक	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक	वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2018 तक	31.3.2018 तक	31.3.2017 तक
पट्टे पर परिसर	2,59,98,440	-	-	2,59,98,440	46,85,024	3,18,553	-	50,03,577	2,09,94,863	2,13,13,416
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	45,25,476	64,476	-	45,89,952	42,19,296	53,709	-	42,73,005	3,16,947	3,06,180
कार्यालय के सामान	13,87,875	72,750	-	14,60,625	12,26,465	55,373	-	12,81,838	1,78,787	1,61,410
डीपीसी के सामान	9,02,383	1,95,174	-	10,97,557	7,81,915	30,430	-	8,12,345	2,85,212	1,20,468
कम्प्यूटर	50,53,838	3,28,448	7,608	53,74,678	36,58,524	4,43,140	2,584	40,99,080	12,75,598	13,95,314
विद्युत संस्थापन	4,95,688	-	-	4,95,688	4,29,489	27,402	-	4,56,891	38,797	66,199
वातानुकूलित यंत्र	6,00,045	-	-	6,00,045	4,39,206	36,611	-	4,75,817	1,24,228	1,60,839
साइकिलें	1,32,357	-	-	1,32,357	1,32,357	-	-	1,32,357	-	-
कुल योग (ए)	3,90,96,102	6,60,848	7,608	3,97,49,342	1,55,72,276	9,65,218	2,584	1,65,34,910	2,32,14,432	2,35,23,826
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (बी)	97,563	1,44,715	-	2,42,278	90,796	11,913	-	1,02,709	1,39,569	6,767
चालू वर्ष (ए+बी)	3,91,93,665	8,05,563	7,608	3,99,91,620	1,56,63,072	9,77,131	2,584	1,66,37,619	2,33,54,001	2,35,30,593
विगत वर्ष	3,77,72,186	14,21,479	-	3,91,93,665	1,48,56,836	8,06,236	-	1,56,63,072	2,35,30,593	-

नोट: वर्ष के दौरान खरीदे गये मोबाइल फोन-शून्य (विगत वर्ष 7,17,900 रूपये) को कंप्यूटर शीर्षक के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है क्योंकि प्रबंधत की दृष्टि से मोबाइल फोन का अनुमानित जीवन तीन वर्ष है और ये कंप्यूटरों जैसा उपयोग होते हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

टिप्पणी 11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
प्रतिभूति जमा	5,45,313	5,40,242
	5,45,313	**5,40,242**

टिप्पणी 12. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	104,25,27,694	29,97,49,370
कच्चा जूट-वणिज्यिक	34,71,94,645	64,71,72,442
जूट बीज	87,53,471	–
सोनाली	4,10,985	5,10,678
	139,88,86,795	**94,74,32,490**

टिप्पणी 13. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
(असुरक्षित, खरा समझा गया)				
छः महीने से अधिक का बकाया ऋण	8,38,975		10,99,048	
अन्यान्य	46,81,66,514	46,90,05,489	47,83,486	58,82,534
(असुरक्षित, संदेहात्मक समझा गया)	6,65,668		6,65,668	–
संदेहात्मक ऋण का प्रावधान	(6,65,668)	–	(6,65,668)	–
		46,90,05,489		**58,82,534**

टिप्पणी 14. नकद एवं नकद समतुल्य

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
नकद एवं नकद समतुल्य		
बैंक में जमा शेष राशि		
चालू खाते में	5,30,05,298	7,32,91,231
बचत खाते में	3,94,17,033	5,40,31,969
जमा खाते में	66,21,12,212	75,09,25,508
हाथ में नकद	15,31,495	10,83,279
	75,60,66,038	**87,93,31,987**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 15. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
नकद या इसी प्रकार में प्राप्त होनेवाले जानेवाले मूल्य के लिए वसूली योग्य पेशगियां				
कर्मचारियों को अग्रिम		5,11,350	–	8,13,832
अन्य पार्टियों को अग्रिम	–	–	–	–
असुरक्षित एवं खरा समझा गया	1,17,91,628		3,04,53,033	–
असुरक्षित एवं संदेहात्मक समझा गया	8,46,522	–	8,46,522	–
बाद: प्रावधान रखा हुआ	(8,46,522)	1,17,91,628	(8,46,522)	3,04,53,033
पूर्वदत्त खर्चे	–	15,40,667	–	17,08,859
राजस्व प्राधिकारियों को अग्रिम				
विक्रय कर एवं वैट अग्रिम	3,15,31,231	–	3,29,05,275	–
बाद : प्रावधान	(3,12,96,831)	2,34,400	3,13,48,556	15,56,719
परियोजनों हेतु अग्रिम				
प्रोजेक्ट आई-केयर	–	–	–	2,07,32,499
भूबन जम्प प्रोजेक्ट	–	57,947	–	42,498
		1,41,35,992		**5,53,07,440**

टिप्पणी 16. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
अर्जित ब्याज किन्तु बकाया नहीं	18,83,786	1,97,91,020
	18,83,786	**1,97,91,020**

टिप्पणी 17. परिचालन से राजस्व

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
विक्रय-मूल्य समर्थन	172,73,08,475	44,10,769
विक्रय-वाणिज्यिक	2,11,21,113	50,54,86,391
विक्रय-सोनाली	17,01,475	18,23,264
विक्रय-जूट बीज	5,80,79,183	12,14,17,011
बाद: प्रदत्त दावे	(78,03,099)	(1,19,998)
	180,04,07,147	**63,30,17,437**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 18. अन्य आय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
ब्याज आय	3,10,15,301	7,27,69,317
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	46,78,00,000	49,38,00,000
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	1,65,82,190	11,58,754
देयता को दीर्घावधि तक लिखने की जरुरत नहीं	1,37,02,524	2,43,84,483
अन्य आय	4,87,404	27,39,855
पूर्व अवधि का समायोजन (टिप्पणी-18.1 के संदर्भ में)	(6,46,192)	58,10,139
	52,89,41,227	**60,06,62,548**

टिप्पणी 18.1. पूर्व अवधि का समायोजन

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
भ्रमण एवं यातायात	(16,807)	–
कार खर्चे	(50,070)	–
विविध खर्चे	(36,065)	–
कानूनी खर्चे	(5,43,250)	–
परियोजनाओं से प्ररिपूर्ति	–	59,60,024
पेशेवर शुल्क	–	(42,000)
मजदूरी	–	(1,07,885)
शुद्ध नामें (-) / जमा	**(6,46,192)**	**58,10,139**

टिप्पणी 19. व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चें का लागत

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
क्रय		
कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	172,15,89,400	28,79,40,308
कच्चा जूट-वाणिज्यिक	21,48,294	1,03,99,35,028
जूट उत्पाद-सोनाली	13,39,836	21,84,887
जूट बीज	5,96,09,695	11,60,28,208
उप योग (ए)	**178,46,87,225**	**1,44,60,88,431**
प्रत्यक्ष खर्चें		
परिचालन खर्चें	6,73,33,464	3,27,45,331
कर एवं लेवी	1,85,21,759	70,12,648
सेवा कर	–	950
उप योग (बी)	**8,58,55,223**	**3,97,58,929**
कुल	**187,05,42,448**	**1,48,58,47,360**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 20. व्यापारिक सामान की वस्तुसूची में परिवर्तन

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
प्रारंभिक स्टॉक :		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	29,97,49,370	18,18,400
कच्चा जूट -वाणिज्यिक	64,71,72,442	1,61,70,548
सोनाली स्टॉक	5,10,678	-
कुल	**94,74,32,490**	**1,79,88,948**
अंतिम स्टॉक :		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	104,25,27,694	29,97,49,370
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	34,71,94,645	64,71,72,442
जूट बीज	87,53,471	-
सोनाली स्टॉक	4,10,985	5,10,678
कुल	**139,88,86,795**	**94,74,32,490**
शुद्ध : (वृद्धि)/कमी	**(45,14,54,305)**	**(92,94,43,542)**

टिप्पणी 21. कर्मचारी हित खर्चे

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
वेतन एवं भत्ते	32,62,62,756	25,57,37,544
मजदूरी	5,26,09,327	10,59,11,668
निदेशकों का पारिश्रमिक	47,55,003	39,80,312
बोनस	17,02,527	57,14,312
किराया आवास	6,60,000	5,95,000
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	78,93,980	96,68,310
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	76,45,758	1,36,33,437
सेवानिवृत आकस्मिक कर्मचारियों को मुआवजा	5,21,000	-
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	3,23,85,295	2,93,24,331
स्टाफ कल्याण व्यय	72,86,924	60,09,445
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	3,97,19,077	2,19,83,738
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	1,74,69,099	1,47,23,544
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	4,85,945	9,29,510
अवकाश यात्रा व्यय	-	56,741
	49,93,96,691	**46,82,67,892**

टिप्पणी 22. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नकद ऋण पर ब्याज	1,49,01,110	48,029
कुल	**1,49,01,110**	**48,029**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 23. अन्य खर्चे

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
छपाई एवं लेखन सामग्री	12,46,933	10,32,888
विद्युत प्रभार	21,10,676	19,15,433
किराया	14,57,450	17,86,127
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	1,65,50,571	1,16,88,349
मरम्मत एवं नवीनीकरण	74,38,847	6,31,913
कार्यालय का रख-रखाव खर्च	3,47,971	4,79,201
महसूल एवं कर	2,28,321	94,329
बीमा	20,70,054	9,10,054
भ्रमण और यातायात	60,40,237	49,11,624
कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	31,46,277	24,16,033
भाड़ा	5,28,27,920	1,86,30,650
सेवा कर	6,09,005	13,73,560
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,71,400	2,47,800
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	1,41,600	56,970
दूरभाष प्रभार	13,06,987	13,02,358
डाक एवं तार	1,27,471	51,339
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,83,126	1,91,660
मनोरंजन	3,13,325	3,45,081
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	7,91,681	7,87,283
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के खर्चे	26,94,542	34,14,795
विज्ञापन एवं प्रचार	21,26,008	11,38,579
कार खर्चे	57,03,923	44,84,791
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण लिखित	40,730	3,17,082
संदेहात्मक ऋण का प्रावधान	–	15,12,190
बैंक प्रभार	2,04,360	3,42,327
मेला एवं प्रदर्शनी	17,53,876	–
कुल	**10,97,33,291**	**6,00,62,416**

टिप्पणी 24. विविध खर्चें

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
मानदेय एवं अन्य शुल्क	3,99,500	36,53,649
आर. ओ. खर्चें एवं प्र. का. खर्चें	1,02,41,335	1,29,00,903
अन्यान्य	–	26,36,802
कुल	**1,06,40,835**	**1,91,91,354**

टिप्पणी 25. मूल्यह्रास एवं परिशोधित खर्च

ब्यौरा	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
मूल्यह्रास	9,77,131	8,06,236
कुल	**9,77,131**	**8,06,236**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की टिप्पणियां

26. कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. गेच्युटी (नियमित)

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 4,05,125 रु. (विगत वर्ष 4,00,000 रु.) लेखा में दर्शाया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक)

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 5,46,69,341 रु. (विगत वर्ष 5,88,88,416 रु.) प्रदान किया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं।

मूल्यांकन करने का आधार	31.03.2018	31.03.2017
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	6.60%	8.00%
वेतन में वृद्धि दर	10.00%	10.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	3.10 वर्ष	3.46 वर्ष

(iii) छुट्टी भुनाने का लाभ

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तिवक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए छुट्टी भुनाने की देयता राशि 12,66,58,835 रु. (विगत वर्ष 14,53,01,326 रु.) लेखा में दर्शाया है।

(iv) मजदूरी

आकिस्मक कर्मचारियों को 5,25,15,803 रु. भुगतान किया गया जिसमें प्रावधान की राशि शून्य रु. शामिल है एवं मंत्रालय के आदेश सं-490 11/31/2008-ईस्ट(सी) दिनांक 23.01.2012 के अनुसार 01.01.2006 से 31.03.2017 की अविध का बकाया वेतन 6,52,69,555 रु. का भुगतान किया गया।

27. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है :

क्रम सं		31.03.2018 रु.	31.03.2017 रु.
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	16,86,05,378	17,86,05,378
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है।	14,00,48,257	22,68,91,941

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 1400.80 लाख रु. (विगत वर्ष 2268.91 लाख रु.) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

28. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान 26,94,542 रु. (वित्तीय वर्ष 2016-17 - 34,14,795 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर खर्चें	16,05,548 रु.
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर खर्चें (वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च किया गया)	10,88,994 रु.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 31.51 लाख रुपये का कुल सीएसआर बजट (वित्तीय वर्ष 2016-17 - 33.90 लाख रुपये) है जिसमें से अव्ययित राशि 15.45 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2016-17, 6.00 लाख रुपये) को वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनाबद्ध खर्च किया जाएगा।

29. माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 : माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था से संबंधित प्रकटन करने की जरुरत है। तथापि किसानों/कृषकों से खरीदे जा रहे जूट को ध्यान में रखते हुए उसका भुगतान तुरंत ही ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जाता है। अत: खाते में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

30. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु

(31 मार्च, 2018 तक) *(रु. में)*

अनुदान का नाम	प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि
(ए) जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40,00,000 (40,00,000)	48,60,441 (44,07,487)	21,67,743 (20,10,985)	66,92,698 (63,96,502)
(बी) मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34,00,000 (34,00,000)	82,59,718 (75,12,571)	7,06,308 (4,47,735)	1,09,53,410 (1,04,64,836)
(सी) बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9,00,000 (9,00,000)	- -	7,82,695 (7,82,695)	1,17,305 (1,17,305)
(डी) जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	60,05,00,000 (60,05,00,000)	14,79,78,431 (13,84,97,672)	56,44,01,659 (55,91,98,877)	18,40,76,772 (17,97,98,795)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

31. अवरुद्ध चेक

लाभार्थियों के साथ लंबित विवाद के कारण अवरुद्ध चेक शीर्षक के अंतर्गत 7,28,482 रु. (विगत वर्ष 8,53,232 रु.) रखा जा रहा है।

32. निदेशकों का पारिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं :

	31.03.2018 (रु.)	31.03.2017 (रु.)
(ए) वेतन	49,35,003	39,80,312
(बी) छुट्टी भुनाने का	-	8,52,397
(सी) भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	5,00,199	3,87,029
(डी) भाड़ा आवासीय	6,60,000	5,95,000
(ई) अन्यान्य	6,23,241	7,89,327
(एफ) क्लब खर्चे एवं विविध	68,539	-
कुल	**67,86,955**	**66,04,065**

33. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है :

	31.03.2018 (रु.)	31.03.2017 (रु.)
इस वर्ष का लाभ/(हानि)	17,68,19,673	9,19,79,586
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित)	354	184

34. क्रय कर

30.06.1990 से 30.06.1993 की अवधि के लिए क्रय कर अधिनियम 1967 के अतंर्गत असम के 78,55,537 रु. की वापसी प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारी के साथ चल रहा है तथापि उक्त राशि के लिए खाता में उपयुक्त प्रावधान बना है।

35. आस्थागित कर

आस्थागित कर परिसम्पत्ति (डीटीए) - डीटीए की समीक्षा विगत वर्ष से चालू वर्ष में डीटीए की मान्यता के साथ लाया गया है।

लेखा मानक-22 (एएस 22) में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरुद्ध डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक साकारात्मक मार्जिन के साथ एसएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यापि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों आधारिक संरचना की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित गतिविधियों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रभावी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

36. भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. डा. के.वी.आर.मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. सीए पी. दाशगुप्ता, निदेशक वित्त 3. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

लेन-देन की प्रवृति	संबंध		राशि रु. में
		2017-18	2016-17
वेतन (मकान किराया सहित)			
डा. के.वी.आर.मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	27,19,672	23,99,404
सीए पी. दासगुप्ता	निदेशक (वित्त)	27,15,530	27,61,406
अभिक साहा	कंपनी सचिव	8,52,874	5,91,546

37. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

	2017-2018			2016-17		
ब्यौरा	**गांठ**	**क्विं**	**रु.**	**गांठ**	**क्विं**	**रु.**
(ए) क्रय						
कच्चा जूट	3,15,260	–	172,37,37,694	2,24,585	–	132,78,75,336
जूट बीज	–	7,557.01	5,96,09,695	–	4,952.24	11,60,28,208
विविध जूट उत्पाद			13,39,836			21,84,887
	3,15,260	**7,557.01**	**178,46,87,225**	**2,24,585**	**4,952.24**	**144,60,88,431**
(बी) विक्रय						
कच्चा जूट	2,48,562	–	174,84,29,588	70,909	–	50,97,77,162
जूट बीज		6,447.29	5,80,79,183	–	4,952.24	12,14,17,011
विविध जूट उत्पाद		–	17,01,475	–	–	18,23,264
	2,48,562	**6,447.29**	**180,82,10,246**	**70,909**	**4,952.24**	**63,30,17,637**
(सी) प्रारंभिक स्टॉक						
कच्चा जूट	1,57,433	–	94,69,21,821	2,157	–	1,79,88,948
जूट बीज		–	–	–	–	–
विविध जूट उत्पाद			5,10,678			
	1,57,433	**–**	**94,74,32,490**	**2,157**	**–**	**1,79,88,948**
(डी) अंतिम स्टॉक						
कच्चा जूट	2,24,131	–	138,97,22,339	1,57,433	–	94,69,21,812
जूट बीज		1,109.72	87,53,471	–	–	–
विविध जूट उत्पाद			4,10,985	–	–	5,10,678
	2,24,131	**1,109.72**	**139,88,86,795**	**1,57,433**	**–**	**94,74,32,490**
(ई) प्राप्त दावे						
कच्चा जूट	–	–	–	–	–	–
(एफ) कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि	4,673	–	–	1,600	–	–

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

38. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य 55,19,387 रु. को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वर्ष के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ है। अभी 23,80,816 रु. की वसूली हुई है एवं 30.06.2018 तक 31,38,571 रु. बकाया है।

39. 7वें सीपीसी एवं 3रा पीआरसी के आदेशानुसार सीडीए के कर्मचारियों का वेतनमान 01.01.2016 एवं आईडीए के कर्मचारियों का वेतनमान 01.01.2017 से संशोधित किया जाना है। इसका प्रस्ताव 06.06.2018 को अनुष्ठित लेखापरीक्षा समिति की 66वीं बैठक एवं बोर्ड के निदेशकगण की 247वीं बैठक के समक्ष रखा गया एवं संबंधित बैठकों में विधिवत सहमित जताई गई एवं अनुमोदन किया गया। उक्त संशोधन के कारण कुल बकाया वेतन अनुमानित 11.32 करोड़ रु. होगा एवं इसके फलस्वरूप अन्य लाभ जैसे ईपीएफ एवं छुट्टी भुनाने का लाभ 3.28 करोड़ रु. है जिसे लेखा में विधिवत दर्शाया गया है।

40. जहाँ भी जरुरत पड़ा है वहाँ विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

41. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाय।

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)	**(सीए पी. दाशगुप्ता)**	**(डा. के. वी. आर. मूर्ति)**
कंपनी सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-07059472	**डीआईएन-07628725**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 05.07.2018

अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन

	2017-2018		2016-2017	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	2,45,612	171,95,99,793	897	44,09,731
ढुलाई खर्च	–	1,65,82,190	–	11,58,754
आंतरिक कच्चा जूट से स्थानांतरण	–	–	94	5,10,110
सरकार से आर्थिक सहायता (विगत वर्ष)	–	–	–	–
ब्याज आय	–	3,09,45,531	–	7,26,51,706
अन्य आय	–	1,41,89,928	–	2,71,24,339
सरकार से आर्थिक सहायता	–	46,78,00,000	–	49,38,00,000
सरकार से आर्थिक सहायता (कृषकों के प्रशिक्षण एवं अन्यान्य)	–	–	–	–
पूर्व अवधि का समायोजन	–	–	–	58,10,139
शुद्ध समायोजन नामें/जमा की शेष राशि लिखित/वापस	–	–	–	–
वजन में कमी	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक	1,61,061	104,25,27,694	55,236	29,97,49,370
शुद्ध हानि	–	–	–	–
	4,06,673	**329,16,45,136**	**56,227**	**90,52,14,149**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	55,236	29,97,49,370	424	18,18,400
क्रय	3,10,587	172,15,89,400	55,580	28,79,40,308
अन्तर्देशीय कच्चा जूट से स्थानांतरण	36,177	22,95,06,888	–	–
कर एवं लेवी		1,37,72,359		60,662
भाड़ा		5,21,37,166		2,34,475
परिचालन खर्चे		6,72,82,644		80,74,894
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		49,93,96,691		46,82,67,892
अन्य प्रशासनिक खर्चे		4,73,84,335		4,60,49,669
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		1,49,01,110		48,029
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		1,18,93,275		1,16,88,349
बीमा		15,52,892		2,06,927
मूल्यह्रास		9,77,131		8,06,236
सेवा कर एवं जीएसटी		6,09,005	–	13,73,560
सेवा प्रभार		–	–	950
पूर्व अवधि का समायोजन		6,46,192		–
महसूल एवं कर	–	2,28,321	–	94,329
वजन में वृद्धि	4,673	–	223	–
आयकर के लिए प्रावधान		9,53,31,704		2,24,56,638
शुद्ध लाभ		23,46,86,653		5,60,92,831
	4,06,673	**329,16,45,136**	**56,227**	**90,52,14,149**

अन्तर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2017-2018		2016-2017	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	2,950	2,10,26,696	70,012	50,53,67,431
ढुलाई लागत	–	–	–	–
प्राप्त दावे-स्टॉक	–	–	–	–
आंतरिक कच्चा जूट मूल्य समर्थन में स्थानांतरण	36,177	22,95,06,888	–	–
प्राप्त ब्याज	–	–	–	–
सेवा प्रभार	–	–	–	–
वजन में हानि	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक	63,070	34,71,94,645	1,02,197	64,71,72,442
शुद्ध हानि	–	6,21,42,575	–	–
	1,02,197	**65,98,70,804**	**1,72,209**	**115,25,39,873**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	1,02,197	64,71,72,442	1,733	1,61,70,548
क्रय	–	21,48,294	1,69,005	103,99,35,028
आन्तरिक कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	–	–	94	5,10,110
कर एवं लेवी	–	47,49,400	–	69,51,986
भाड़ा	–	6,26,210	–	1,83,01,062
परिचालन खर्चे	–	–	–	2,45,53,752
ब्याज	–	–	–	–
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	–	46,57,296	–	–
बीमा	–	5,17,162	–	7,01,745
वजन में वृद्धि	–	–	1,377	–
आयकर का प्रावधान	–	–	–	1,29,83,953
शुद्ध लाभ	–	–	–	3,24,31,689
	1,02,197	**65,98,70,804**	**1,72,209**	**115,25,39,873**

जूट बीज

	2017-2018		2016-2017	
	क्विं.	रु.	क्विं.	रु.
आय				
विक्रय	6,447.29	5,80,79,183	4,952.24	12,14,17,011
एनजेबी से आर्थिक सहायता	–	–	–	–
सेवा प्रभार	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक	1,109.72	87,53,471	–	–
क्षति	–	–	–	–
शुद्ध हानि	–	–	–	–
	7,557.01	**6,68,32,654**	**4,952.24**	**12,14,17,011**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	–	–	–	–
क्रय	7,557.01	5,96,09,695	4,952.24	11,60,28,208
भाड़ा	–	64,544	–	95,113
स्टॉक पुनर्वैधीकरण प्रभार	–	–	–	–
बीमा	–	–	–	–
स्थायी खर्च	–	–	–	–
जूट बीज की हैंडलिंग	–	50,820	–	1,16,685
आयकर का प्रावधान	–	24,59,796	–	14,80,063
शुद्ध लाभ	–	46,47,799	–	36,96,942
	7,557.01	**6,68,32,654**	**4,952.24**	**12,14,17,011**

विविध जूट उत्पाद (सोनाली)

आय		
विक्रय	17,01,475	18,23,264
विविध की प्राप्ति	–	–
ब्याज	69,770	1,17,611
अंतिम स्टॉक	4,10,985	5,10,678
शुद्ध हानि	3,72,203	2,41,875
	25,54,433	**26,93,428**
व्यय		
क्रय	13,39,836	21,84,887
प्रारंभिक स्टॉक	5,10,678	–
बीमा	–	1,382
कार्यालय रख-रखाव	–	1,04,868
अन्य खर्चे	5,25,397	3,40,359
बैंक प्रभार	6,758	8,838
छपाई एवं लेखन सामग्री	12,543	19,295
दूरभाष प्रभार	10,662	31,439
भ्रमण और यातायात	39,890	2,360
मरम्मत एवं रख-रखाव	1,08,669	–
शुद्ध लाभ	–	–
	25,54,433	**26,93,428**